

# रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-49, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित



25 जून 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, नि:शुल्क

मंत्रिपरिषद  
के निर्णय

## सौर ऊर्जा को अनुदान, बाघ संरक्षण और 'JashPure' ब्रांड को मिलेगा बाजार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई दूरगामी और जनहितकारी निर्णय लिए गए। इनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की सूची से बाहर रह गए समुदायों को छात्रवृत्ति देने से लेकर टाइगर फाउंडेशन, सोलर योजना और वन्यजीव संरक्षण तक अनेक महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं।

### छात्रवृत्ति और हॉस्टल सुविधा का लाभ

डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया/पविया समाज को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य और डोमरा जाति को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से छात्रवृत्ति और छात्रावास प्रवेश की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

### पीएम सूर्य घर योजना में राज्य से भी

1KW पर 15,000 रुपए और 3KW+ पर 30,000 रुपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। CSPDCL के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने पर केंद्र के साथ राज्य की तरफ से भी अनुदान मिलेगा। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 संयंत्र लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।

### छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन गठन

वन्यजीव संरक्षण और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 'छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी' बनाई जाएगी।

शेष पेज 3 पर

## केशकाल घाटी में 307.96 करोड़ की लागत से 4 लेन

बस्तर की कनेक्टिविटी को मिली रफ्तार, केंद्र की मंजूरी के बाद मौजूदा एनएच 30 का विकल्प बनेगा, घाटी पर्यटन स्थल बन सकेगी

बस्तर अंचल के विकास की दिशा में एक और निर्णायक कदम बढ़ा है। कोंडागांव जिले के केशकाल घाट क्षेत्र में अब 307.96 करोड़ रुपए की लागत से 11.380 किलोमीटर लंबा, पेव्ड शोल्डर मानक पर आधारित 4-लेन बायपास बनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक परियोजना की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट के माध्यम से साझा की। इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री गडकरी का आभार जताया।



### बायपास से बस्तर को मिलेगा नया ट्रांजिट आधार

- यातायात होगा सुगम: केशकाल नगर होकर गुजरने की बाधयता खत्म होगी, जिससे नगर क्षेत्र का दबाव कम होगा।
- हादसों में कमी: घाट पर अक्सर लगने वाला जाम और दुर्घटनाएं से मुक्ति मिलेगी।
- रफ्तार और व्यापार को बढ़ावा: रायपुर से व्यापारिक सामान अब जगदलपुर और बस्तर के अन्य हिस्सों तक तेजी से पहुंचेगा।
- पर्यटन को बढ़ावा: मौजूदा केशकाल घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

## मुख्यमंत्री ने 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख की दी प्रोत्साहन राशि

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित एक गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक परिवारों के 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। ये छात्र कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अपने जिले के टॉप 10 स्थानों में शामिल रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38,200 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 19.71 करोड़ रुपए की सहायता राशि ऑनलाइन उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। यह पहल श्रमिकों के जीवन को नई दिशा देने और उनके बच्चों के सपनों को उड़ान देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

स्रोत : <https://dprcg.gov.in>

### विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित सहायता राशि



योजना का नाम	लाभार्थी	सहायता राशि
नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना	155	37.63 लाख
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	4,825	96.17 लाख
मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	279	10.33 लाख
निशुल्क ड्रेस एवं कॉपी-पुस्तक	15,066	2.00 करोड़
अन्य योजना	16,342	15.92 करोड़
<b>कुल</b>	<b>36,667</b>	<b>19.71 करोड़</b>

सीसीपीएल  
सीजन-2

### रायपुर राइजिंग्स और राजनांदगांव पैथर्स संयुक्त विजेता घोषित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (सीसीपीएल) सीजन-2 के समापन समारोह में शिरकत की। बारिश के कारण फाइनल मुकाबला नहीं हो पाया, जिसके चलते फाइनल में पहुंची रायपुर राइजिंग्स और राजनांदगांव पैथर्स को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने दोनों टीमों के कप्तान अमनदीप खरे और अजय मंडल को विनर्स कप प्रदान किया। सीसीपीएल का आयोजन 6 से 15 जून तक हुआ, जिसमें छह टीमों- रायपुर राइजिंग्स, राजनांदगांव पैथर्स, रायगढ़ लायन्स, बस्तर बाइसन्स, बिलासपुर बुल्स और सरगुजा टाइगर्स ने भाग लिया।

शेष पेज 4 पर

### शाला प्रवेशोत्सव

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चलाए गए व्यापक शिक्षक और विद्यालय युक्तियुक्तकरण अभियान का प्रतिफल

## स्कूल चले हम... राज्य के अब हर विद्यालय में होंगे शिक्षक

छत्तीसगढ़ में नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो गया है। लेकिन इस बार की शुरुआत केवल तिथियों की नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव की गवाह बनी है। राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यह परिवर्तन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चलाए गए व्यापक शिक्षक और विद्यालय युक्तियुक्तकरण अभियान का प्रतिफल है।

### छात्र-शिक्षक अनुपात में संतुलन

छत्तीसगढ़ का छात्र-शिक्षक अनुपात पहले भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर था। प्राथमिक स्तर पर PTR 20 (राष्ट्रीय औसत 29), पूर्व माध्यमिक स्तर पर PTR 18 (राष्ट्रीय औसत 38)। लेकिन वितरण असंतुलित था। कुछ विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं थे, वहीं अन्य में 10 से अधिक शिक्षक पदस्थ थे। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया ने इस असंतुलन को प्रभावी ढंग से समाप्त किया है।



### शिक्षा में समानता का निर्णायक कदम

- 13,793 शिक्षकों का जिला स्तर,
- 863 का संभाग स्तर,
- 105 शिक्षकों का राज्य स्तर पर स्थानांतरण किया गया।
- 166 विद्यालयों का समायोजन किया गया, जिनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र की कम दर्ज संख्या वाली शालाएं थीं।
- 10,372 विद्यालयों का एकीकृत परिसर में विलय किया गया, जिससे अब छात्रों को बार-बार स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने या स्कूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

### रोजगार और नियोजन पोपट मोबाइल एप पर भी पढ़िए

<https://dprcg.gov.in/>

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होने के साथ अब एप पर भी उपलब्ध है।

जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

## रिक्लूटमेंट नोटिस

### DRDO

पद: साइंटिस्ट बी  
पद संख्या: 148  
अंतिम तिथि: 27 जून  
[rac.gov.in](http://rac.gov.in)

### एसजीपीजीआई

पद: नर्सिंग ऑफिसर  
पद संख्या: 1200  
अंतिम तिथि: 30 जून  
<https://sgpgims.org.in/>

### छत्तीसगढ़ व्यापम

पद: असिस्टेंट ऑडिटर  
पद संख्या: 430  
अंतिम तिथि: 30 जून  
[vyapamcg.cgstate.gov.in/](http://vyapamcg.cgstate.gov.in/)

### टीएनपीएससी

पद: जूनियर इंजीनियर  
पद संख्या: 1910  
अंतिम तिथि: 2 जुलाई  
<https://www.tnpsc.gov.in/>

### हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग

पद: टीजीटी  
पद संख्या: 937  
अंतिम तिथि: 3 जुलाई  
[Hprca.hp.gov.in](http://hprca.hp.gov.in)

### यूपीएससी

पद: असिस्टेंट केमिस्ट  
पद संख्या: 462  
अंतिम तिथि: 3 जुलाई  
<https://upsc.gov.in/>

### जेएसएससी

पद: सेकंडरी टीचर  
पद संख्या: 1373  
अंतिम तिथि: 17 जुलाई  
<https://jssc.jharkhand.gov.in/>



## रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक  
**डॉ. रवि मितल**

संपादक

**जवाहर लाल दरियो**

सहायक संपादक

**गीतांजलि नेताम**

संपादकीय

**संदीप सिन्हा**

ऑफिस डिजाइन-इलेस्ट्रेशन

**धनेश कुमार दिवाकर**

डेटा एंट्री ऑपरेटर

**अंजुतानी, राकेश साहू**

वितरण व्यवस्था

**विक्रान्त ताम्रकार**

- कार्यालय पता -

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,

अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

फोन-0771-2512582, 2512583

ईमेल पता

[rojgarurniyojan@gmail.com](mailto:rojgarurniyojan@gmail.com)

### रोजगार और नियोजन नि:शुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि संपादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

## पिक ऑफ द वीक



जशपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित भृंगराज जलप्रपात प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अनुपम संगम है।...

## अब कर्मचारियों की 'कुंडली' मोबाइल एप पर चार लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा

फाइलें पलटने का झंझट खत्म; सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, वेतन विसंगति में नहीं होगी दिक्कत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ी पहल करते हुए राज्य के लगभग चार लाख शासकीय कर्मचारियों को सेवा संबंधी जानकारी मोबाइल एप के माध्यम से अद्यतन (अपडेट) करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस सुविधा के तहत अब कर्मचारियों को प्रोफाइल अपडेट, नामिनी परिवर्तन, बैंक खाता परिवर्तन जैसे कार्यों के लिए कार्यालय प्रमुख पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रदेश सरकार की इस डिजिटल व्यवस्था से न केवल सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और वेतन विसंगति जैसी समस्याओं में तेजी से सुधार होगा, बल्कि पेंशन और जीपीएफ जैसे लाभों का त्वरित निपटान भी सुनिश्चित होगा।

सहज और सुलभ हो गई है। उन्होंने बताया कि "सेवा संबंधी जानकारी अपडेट न होने के कारण कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था से यह स्थिति अब नहीं बनेगी।"



### फाइलों में अब नहीं होगी विलंब

अब तक कर्मचारी अपनी सेवा जानकारी में परिवर्तन के लिए फाइलों की प्रक्रिया में उलझते थे, जिससे समय और श्रम दोनों की हानि होती थी। नई व्यवस्था में कर्मचारी खुद लॉगिन कर अपने मोबाइल या कंप्यूटर से जानकारी अपडेट कर सकेंगे। कोष एवं लेखा संचालनालय के निदेशक श्री रितेश अग्रवाल ने बताया कि कार्मिक संपदा मॉड्यूल का उपयोग 2019 से हो रहा था, लेकिन अब मोबाइल एप की सहायता से यह प्रक्रिया और अधिक

### प्रमुख लाभ जो कर्मचारियों को मिलेंगे

- प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया अब स्वयं के हाथ में।
- स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन निर्धारण में पारदर्शिता।
- पेंशन, उपादान, जीपीएफ भुगतान जैसी सेवाओं का त्वरित निपटान।
- ऑनलाइन माध्यम से अंतिम जीपीएफ दावा दाखिल करने की सुविधा।
- मिसिंग जीपीएफ क्रेडिट का ऑनलाइन सुधार।

**SGPGI लखनऊ में 1200 पदों पर भर्ती, आवेदन 30 जून तक**

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGI), लखनऊ ने नर्सिंग ऑफिसर सहित 1200 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 30 जून 2025 तक [www.sgpgims.org.in](http://www.sgpgims.org.in) पर आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए बी.एससी नर्सिंग और स्टेट/इंडियन नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य है। अन्य पदों हेतु 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या स्नातक योग्यताएं मान्य हैं। वेतन 40,900 रुपए से 1,12,000 रुपए प्रतिमाह तक निर्धारित है।

### पारदर्शी समाधान की दिशा

राज्य सरकार ने 'डिजिटल प्रशासन - पारदर्शी समाधान' के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए 'एम्प्लॉई कॉर्नर मोबाइल एप' और कार्मिक संपदा पोर्टल को नई तकनीक से सुसज्जित किया है। यह व्यवस्था न केवल सरल और त्वरित है, बल्कि कर्मचारियों की सेवा 'कुंडली' को अद्यतन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी।

### स्टेप-बाय-स्टेप सहायता के लिए SOP

सेवा प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर राज्य शासन ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी जारी की है, जिसे कर्मचारी [ekoshonline.cg.gov.in](http://ekoshonline.cg.gov.in) पर जाकर पढ़ सकते हैं।

### ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

यह पहल छत्तीसगढ़ को ई-गवर्नेंस की दिशा में देशभर में अग्रणी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सोच साफ है- शासन की व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और संवेदनशील बनाना। राज्य शासन की यह पहल कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरित निपटान सुनिश्चित कर सुशासन की मिसाल प्रस्तुत कर रही है।

**कर्मचारी चयन आयोग में 14,582 पदों पर भर्ती, आवेदन 4 जुलाई तक**

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CGL भर्ती 2025 के लिए 14,582 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 4 जुलाई 2025 तक [www.ssc.gov.in](http://www.ssc.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2025 है। पात्रता के अनुसार स्नातक (Graduation) अनिवार्य है, जबकि कुछ पदों के लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 60% अंक भी आवश्यक हैं। चयन प्रक्रिया में टियर-1 और टियर-2 परीक्षा शामिल होगी। वेतन 25,500 रुपए से 1,42,400 रुपए प्रतिमाह तक निर्धारित है।

### डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार, आवेदन 31 जुलाई तक

छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025 के 'डॉ. खूबचंद बघेल, कृषक रत्न पुरस्कार' के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक कृषक संबंधित जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय से निःशुल्क, प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र 31 जुलाई 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी कृषि विभाग की वेबसाइट [www.agriportal.cg.nic.in](http://www.agriportal.cg.nic.in) पर उपलब्ध है।

### सहायक लेखा परीक्षक 430 पदों पर भर्ती, आवेदन 30 जून तक

छत्तीसगढ़ शासन के स्थानीय निधि लेखा विभाग के अंतर्गत सहायक लेखा परीक्षक के 430 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन प्रक्रिया 9 जून से प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित है। परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के पास स्नातक डिग्री एवं कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। अभ्यर्थी [vyapam.cgstate.gov.in](http://vyapam.cgstate.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

### अग्निशमन विभाग में 295 पदों पर भर्ती, आवेदन 31 जुलाई तक

छत्तीसगढ़ अग्निशमन विभाग में 295 पदों पर भर्ती के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन से 31 जुलाई 2025 तक चलेगी। भर्ती में उप निरीक्षक के 21 पद, वाहन चालक के 14 पद, वाहन चालक सह ऑपरेटर के 86 पद, फायरमैन के 117 पद, स्टोर कीपर के 32 पद, मैकेनिक के 2 पद, वॉटर रूम ऑपरेटर के 19 पद तथा वायरलेस ऑपरेटर (संविदा) के 4 पद शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए [www.cghged.gov.in](http://www.cghged.gov.in) का देख सकते हैं।

### आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती, आवेदन 16 अगस्त तक

आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी ने प्राथमिक, प्रशिक्षित स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 16 अगस्त 2025 तक [awesindia.com](http://awesindia.com) पर आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु-सीमा 55 वर्ष निर्धारित है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन स्क्रीनिंग, साक्षात्कार तथा शिक्षण-कौशल एवं कंप्यूटर-दक्षता परीक्षण शामिल हैं। पात्रता के लिए स्नातक/ परास्नातक, बीएड/ डीएलएड और सीटीईटी/ टीईटी अनिवार्य हैं।

**प्रयोगशाला-परिचारक भर्ती 3 अगस्त को होगी परीक्षा**

उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रयोगशाला-परिचारक के 430 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। केवल पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थी ही 30 जून 2025 तक व्यापम की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकेंगे। परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित होगी। विस्तृत जानकारी वेबसाइट [https://vyapamcg.cgstate.gov.in/](http://https://vyapamcg.cgstate.gov.in/) पर उपलब्ध है।

## छत्तीसगढ़

बाल अधिकारों की सुरक्षा को समर्पित 'सार्थक' और 'रक्षक' अभियान का शुभारंभ



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में 'सार्थक' और 'रक्षक' अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अभियानों से बाल अधिकारों के प्रति जनजागरूकता बढ़ेगी और सुदूर अंचलों तक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर बाल अधिकारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं छात्राओं को सम्मानित किया गया।

### बेलतरा क्षेत्र को मिला विकास का तोहफा 39 करोड़ से अधिक कार्यों का भूमिपूजन

सरकंडा खेल परिसर में केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बेलतरा विधानसभा में 39.04 करोड़ रुपए के 20 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। कोनी-मंगला मार्ग पर अरपा नदी पर पुल निर्माण और पौसरा में खारुन नदी पर पुल सहित अन्य कार्य शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की।

### कैम्पा की बैठक सम्पन्न 433 करोड़ की योजना को मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में छत्तीसगढ़ कैम्पा की तृतीय बैठक आयोजित हुई। उन्होंने कैम्पा मद का नियमानुसार उपयोग करने के निर्देश दिए। बैठक में विगत वर्षों के कार्यों की समीक्षा की गई। वर्ष 2019-25 तक 7297.55 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिनमें से 4010.43 करोड़ खर्च किए गए। 2025-26 के लिए 694.18 करोड़ की योजना भेजी गई, जिसमें 433.69 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है।

### पेज 1 का शेष: सौर ऊर्जा को अनुदान, बाघ संरक्षण और 'JashPure' ब्रांड को मिलेगा बाजार

यह संस्था निजी सहयोग से संचालित होगी और बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए कार्य करेगी।

### रामकृष्ण मिशन की सहयोगी संस्था 'विश्ववास' का एकीकरण

'रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था 'विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवायें, छत्तीसगढ़ (विश्ववास) को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में अंतर्भूत (मर्ज) करने का अनुमोदन किया गया।

### बेलगांव में बनेगा उद्यानिकी महाविद्यालय

94.29 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ जमीन उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यह छत्तीसगढ़ में बागवानी शिक्षा और अनुसंधान को बल देगा।

### 'JashPure' ब्रांड को मिलेगा सरकारी समर्थन

कृषि मंत्री श्री नेताम ने दी सख्त चेतावनी, नकली खाद-बीज बर्दाश्त नहीं

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने नवा रायपुर में कृषि अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर खरीफ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को किसानों को प्रमाणित खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए। नकली खाद-बीज की शिकायतों पर चिंता जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री ने उद्यानिकी विभाग को मसाला, फल, फूल और सुगंधित धान की खेती बढ़ाने के निर्देश दिए। खरीफ सीजन हेतु 10.67 लाख मीट्रिक टन खाद का भंडारण व 5.23 लाख मीट्रिक टन का वितरण हो चुका है। बीज वितरण भी तेजी से जारी है। योजनाओं के क्रियान्वयन में सजगता बरतने को कहा गया।

### कांकेर बना छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज हब देशभर में बढ़ी मांग

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले ने मत्स्य बीज उत्पादन में राज्य में अग्रणी स्थान बना लिया है। पखांजूर क्षेत्र की हैचरी क्रांति के चलते अब छत्तीसगढ़ न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि देश के कई राज्यों में मत्स्य बीज निर्यात कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और नीली क्रांति के अंतर्गत जिले में 34 हैचरियां संचालित हो रही हैं, जिनसे उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादित हो रहा है। इस क्षेत्र मक लगभग 550 लोगों को रोजगार मिला है।

### शासन की योजनाओं से आत्मनिर्भर बनीं जशपुर की लालमती

जशपुर जिले की श्रीमती लालमती ने छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। बिहान योजना और मुद्रा लोन से शटरिंग प्लेट व्यवसाय शुरू कर उन्होंने फरवरी 2025 से अब तक 35,000 से अधिक की आय अर्जित की है। उनके पास 200 से अधिक प्लेटें हैं, जो प्रधानमंत्री आवास निर्माण में उपयोग हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि शासन का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। लालमती जैसी महिलाएं नई सामाजिक-आर्थिक चेतना की प्रतीक बनकर उभरी हैं।

महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित महुआ व हर्बल चाय जैसे उत्पादों को ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ट्रेडमार्क के लिए 'JashPure' ब्रांड को CSIDC या राज्य शासन को हस्तांतरित करने का निर्णय।

### किसी भी विभाग में मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति

नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के परिवार के पात्र सदस्य को अब पुलिस के अलावा अन्य विभागों और किसी भी जिले/संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकेगी।

### छत्तीसगढ़ बनाएगा अपना मिनरल ट्रस्ट

राज्य में गौण खनिजों की खोज, अधोसंरचना और तकनीकी विकास के लिए SMET का गठन किया जाएगा। सभी गौण खनिज रॉयल्टी से 2% अतिरिक्त राशि इस फंड में जाएगी।

## राष्ट्रीय

सेना ने पोखरण में हाइब्रिड यूएवी ड्रोन उद्घाटन का सफल परीक्षण



पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष के मद्देनजर, जिसमें भारत के पश्चिमी पड़ोसी द्वारा ड्रोन हमलों की झड़ी लग गई थी, भारतीय सेना अब भविष्य में इसी तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने हेतु अधिक मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) ड्रोन को शामिल करने पर आक्रामक रूप से विचार कर रही है। ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान, भारत ने ड्रोन, मिसाइलों और युद्ध सामग्री के साथ अपनी तरह का पहला गैर-संपर्क सैन्य अभियान देखा।

### भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3 प्रतिशत हुआ, विश्व में दूसरा स्थान

भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में पिछले एक दशक के दौरान 45 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। इन प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता देते हुए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने भारत की इस उपलब्धि को अपने आधिकारिक डैशबोर्ड पर प्रकाशित किया है, जिसमें दर्शाया गया है कि 94 करोड़ से अधिक नागरिक अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आते हैं। लाभार्थियों की संख्या के आधार पर भारत अब दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

### प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से मातृ मृत्यु दर में 50 अंकों की आई गिरावट

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMS-MA) के नौ वर्षों में भारत की मातृ मृत्यु दर (MMR) में उल्लेखनीय 50 अंकों की गिरावट आई है। 2014-16 में MMR जहां 130 थी, वहीं 2021-23 में घटकर 80 हो गई है। जून 2016 में शुरू इस योजना से 6.19 करोड़ गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसवपूर्व देखभाल मिली। हर माह की 9 तारीख को दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं की जांच की जाती है। महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान स्वयंसेवकों में अग्रणी हैं। यूपी में सबसे अधिक 1.89 लाख महिलाओं ने लाभ लिया है।

### आईएमडी के डीजी को मिला संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र को प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार प्रदान किया है। जिनेवा में आयोजित वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (GPDOR) के आठवें सत्र में महापात्र को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणालियों में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है।

### वन्यजीवों के लिए ब्यूरोक्रेट से योद्धा बने अनवरुद्दीन

डॉ. अनवरुद्दीन चौधरी असम में आयुक्त सचिव थे। काम के बाद आराम करने के बजाय वे जंगलों में घूमते और वन्यजीवों की सुरक्षा की चिंता करते। इसी समर्पण के चलते उन्हें 'असम का बर्डमैन' नाम मिला। वे राज्य के पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत के पक्षियों पर किताबें लिखी हैं। उनके अध्ययनों ने कई पक्षी प्रजातियों के

संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे प्रकृति संरक्षण के कार्यों में सक्रिय हैं।

### मेटा ने श्रीनिवास को भारत का एमडी और प्रमुख नियुक्त किया

मेटा ने अरुण श्रीनिवास को 1 जुलाई 2025 से भारत में अपने परिचालन का नया प्रबंध निदेशक (MD) और प्रमुख नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संध्या देवनाथन को भारत के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया का विस्तारित दायित्व सौंपे जाने के बाद की गई है। अपने नए पद पर श्रीनिवास भारत में मेटा के व्यवसाय, नवाचार और राजस्व प्राथमिकताओं के एकीकृत प्रबंधन की देखरेख करेंगे।

### भारत ने 13 साल में वैश्विक निर्यात में सबसे तेज गति से बढ़ाई हिस्सेदारी

भारत के निर्यात में 2010 से 2023 तक लगातार वृद्धि का रुख रहा। 13 वर्षों की इस अवधि में भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी सबसे तेज रफ्तार से बढ़ाने में कामयाब रहा। इस दौरान भारत के निर्यात की वृद्धि दर 6.3 फीसदी रही, जो देश के व्यापार क्षेत्र की मजबूती को बताता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) की रिपोर्ट के हवाले से एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा, निर्यात के मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन चीन, यूरोपीय संघ एवं अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में और भी अधिक उल्लेखनीय है। 2010 से 2023 के बीच चीन का निर्यात 6.1 फीसदी बढ़ा। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने 3.9-3.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की।

### मुकंदरा टाइगर रिजर्व में 5 साल बाद 'किलकारी गूंजी'

मुकंदरा टाइगर रिजर्व में पांच साल बाद एक बार फिर 'किलकारी' गूंजी है। रविवार को कैमरा ट्रैप में बाधिन एमटी-6 के साथ एक शावक नजर आया। वनकर्मियों ने तत्काल डीएफओ को इसकी सूचना दी। शावक की उम्र लगभग डेढ़ से दो माह मानी जा रही है। आसपास और भी शावकों की मौजूदगी की संभावना को देखते हुए टाइगर रिजर्व प्रशासन ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। बाधिन एमटी-6 को 9 अगस्त 2023 को रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाया गया था। उस समय उसकी उम्र करीब साढ़े तीन वर्ष थी। उसे बाघ एमटी-5 के साथ रखा गया था। बीते 22 महीनों से ये दोनों बाघ-बाधिन साथ विचरण कर रहे हैं।

### यूपीआई: 10 सेकंड में पेमेंट बैलेंस चेक की सीमा 50 बार

यूपीआई से भुगतान करने में पहले से कम समय लगेगा। एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) के नए सिक्यूरिटी के अनुसार, पेमेंट प्रोसेसिंग का समय 30 सेकंड से घटाकर 10 सेकंड कर दिया गया है। भुगतान के दौरान एड्रेस वेरिफिकेशन का समय भी 15 सेकंड से घटाकर 10 सेकंड किया गया है। किसी भी यूपीआई ऐप से एक दिन में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक किया जा सकेगा।

### भारत का परमाणु स्टॉक बढ़ा 2025 में हथियारों की संख्या 180 पहुंची

परमाणु क्षमताओं के मामले में भारत पाकिस्तान पर बढ़त बनाए हुए है। इंटरनेशनल सिविलियन एटॉमिक एजेंसी (सीपीए) के रिपोर्ट में भारत के परमाणु हथियार वर्ष 2025 में बढ़कर लगभग 180 हो गए हैं जो 2024 में 172 थे। यही नहीं भारत ने परमाणु हथियारों को प्रक्षेपित करने की उन्नत प्रणाली विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण

## अंतरराष्ट्रीय

## साइप्रस ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा



साइप्रस ने 16 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III' से नवाजा। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौल्लिडेस ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह सम्मान दिया। मोदी दो दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे थे। मोदी ने कहा, 'मैं साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। यह हमारी संस्कृति, भाईचारे और वसुधैव कुटुम्बकम् की विचारधारा का सम्मान है।'

## यूएनएफपीए रिपोर्ट: भारत 2025 में भी बना रहेगा विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की 10 जून को जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वर्तमान जनसंख्या 1,463.9 मिलियन (यानी 1.46 अरब) है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है। यह संख्या घटने से पहले लगभग 1.7 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) वर्तमान में प्रति महिला 2.0 बच्चे है। इसका अर्थ है कि औसतन, भारत में एक महिला से उसके प्रजनन वर्षों (आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की आयु के दौरान) में 2 बच्चों के जन्म की उम्मीद की जाती है। सैपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, यह दर 2020 से स्थिर बनी हुई है।

## श्रीनिवास अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष बने

भारतीय मूल के डॉ. श्रीनिवास मुक्कमला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (AMA) का अध्यक्ष चुना गया है। यह पद संभालने वाले वह पहले भारतवंशी हैं। डॉ. मुक्कमला ने AMA का 180वां अध्यक्ष बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। 178 साल पुराना अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रभावशाली चिकित्सा संगठन है। डॉ. श्रीनिवास मुक्कमला, जिन्हें बाँबी मुक्कमला के नाम से भी जाना जाता है, नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ (ENT विशेषज्ञ) हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि पिछले वर्ष नवंबर में उनकी जांच में ब्रेन कैन्सर का पता चला था, जिसके बाद उनकी मस्तिष्क की सर्जरी (ब्रेन सर्जरी) की गई थी।

## फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले जानवरों की गिनती श्रीलंका में पहली बार हुई

श्रीलंका में पहली बार फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले जानवरों की गणना की गई है। इस सर्वेक्षण से पता चला कि देश में 51 लाख 70 हजार बंदर, 42 लाख 40 हजार मीर, 26 लाख 60 हजार बड़ी गिलहरियाँ और 17 लाख 40 हजार पर्पल फेरुड लंगूर मौजूद हैं। यह सर्वेक्षण 15 मार्च को आयोजित किया गया था, जिसमें 40 हजार अधिकारियों ने मिलकर पूरे देश में यह गिनती की। श्रीलंका के कृषि विभाग के अनुसार, इन जानवरों

के कारण वर्ष 2022 में लगभग 850 करोड़ रुपए से अधिक की फसलों को नुकसान हुआ था।

## भारत-चीन सीधी उड़ान सेवा जल्द शुरू करने पर सहमति

भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवा जल्द ही बहाल हो सकती है। साथ ही, वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने और अंतरराष्ट्रीय नदियों पर डाटा साझा करने जैसे अहम मुद्दों पर भी सहमति बनी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग के बीच शुक्रवार को हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा हुई। सुन वेइदोंग दो दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। बैठक में दोनों देशों ने सीधी उड़ान सेवा को पुनः शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमति जताई है। इसके लिए नए हवाई सेवा समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।

## चीन ने लॉन्च की दुनिया की पहली गैर-बाइनरी AI चिप

चीन ने वैश्विक स्तर पर एक अनूठी पहल करते हुए दुनिया की पहली गैर-बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू कर दिया है। यह तकनीकी नवाचार बीजिंग स्थित बीहंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ली होंगगे और उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया है। इस चिप का आधार एक नया कम्प्यूटिंग दृष्टिकोण है, जिसे हाइब्रिड स्टोकास्टिक नंबर (HSN) कम्प्यूटिंग कहा जाता है। यह प्रणाली पारंपरिक बाइनरी लॉजिक (0 और 1) की जगह संभाव्य गणनाओं (stochastic processing) का उपयोग करती है, जिससे उच्च गति और अधिक दक्षता प्राप्त होती है।

## ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को मिली पहली महिला प्रमुख

ब्लेज़ मेट्रेवेली को 1909 में स्थापित यूनाइटेड किंगडम की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह ऐतिहासिक घोषणा 15 जून, 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा की गई। यह निर्णय पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान जासूसी जगत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। सुश्री मेट्रेवेली वर्तमान में MI6 में प्रौद्योगिकी और नवाचार निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह साइबर सुरक्षा और डिजिटल खुफिया के क्षेत्र में अपार अनुभव और विशेषज्ञता लेकर आई हैं।

## स्विट्जरलैंड: बर्फ में 2 घंटे रहकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्विट्जरलैंड के पावरलिफ्टर एलियास मेयर ने केवल स्विमिंग ट्रंक पहनकर खुद को बर्फ में 2 घंटे 7 सेकंड तक रखा। इस दौरान उनका पूरा शरीर बर्फ से ढंका हुआ था। एलियास ने यह कारनामा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है।

## दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला संग्रहालय बंद

दुनिया में सर्वाधिक देखा जाने वाला, तथा कला और सौंदर्य का वैश्विक प्रतीक लूव्र संग्रहालय सोमवार को अधिकांश समय बंद रहा क्योंकि वहां काम करने वाले कर्मचारी संग्रहालय में आने वाली अत्यधिक भीड़ और अन्य समस्याओं से परेशान होकर हड़ताल पर चले गए। इस संग्रहालय में लियोनार्डो दा विंची की कृतियों तथा अन्य कलाकारों की कृतियों का भंडार है जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं पर यहां सोमवार को अलग नजारा था। हजारों आगंतुक हाथ में टिकट लिए आई.एम. पेई के ग्लास पिरामिड के नीचे पंक्तियों में खड़े थे।

## खेल / कला

## फाइनल मले अधूरा रह गया, पर युवाओं का जज्बा पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बन गया: मुख्यमंत्री



पेज 1 का शेष: छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग फाइनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैथर्स के बीच खेले जाने वाला यह महामुकाबला दर्शकों की भारी उम्मीदों के बावजूद शुरू नहीं हो सका। मैच शाम 5 बजे शुरू होना था और टॉस भी समय गर कर लिया गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद तेज बारिश ने खेल को रोक दिया। लगातार बारिश के कारण मैदान खेलने लायक नहीं रह गया। रात 9 बजे तक बारिश थमने की प्रतीक्षा की गई, लेकिन जब मैदान में पानी भरने लगा और हालात सामान्य नहीं हो सके, तब आयोजकों ने दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया। फाइनल को देखने के लिए करीब 10,000 से अधिक दर्शक शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे थे।

## आयुष पांडेय सीजन के इकलौते शतकवीर

सीसीपीएल सीजन-2 में कुल 26 अर्धशतक लगे। वहीं, शतक की बात की जाए, तो केवल बिलासपुर बुल्स के आयुष पांडेय शतक लगाने में कामयाब रहे। उन्होंने सरगुजा टाइगर्स के खिलाफ 66 गेंद में 102\* रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी।

## सीजन के 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

टीम	प्लेयर	रन
रायपुर राइनोज	अमनदीप खरे	318
राजनांदगांव पैथर्स	अजय मंडल	295
बस्तर बायसन	शशांक चंद्राकर	246

## सीजन के 3 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज

टीम	प्लेयर	विकेट
राजनांदगांव पैथर्स	अजय मंडल	11
राजनांदगांव पैथर्स	देवादित्य सिंह	9
राजनांदगांव पैथर्स	एश्वर्य मोयं	8

## वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप: 27 साल बाद ICC ट्रॉफी जीता दक्षिण अफ्रीका ने

दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का खिताब जीत लिया है। लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए खिताबी मुकाबले में अफ्रीकी टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। इस खिताबी जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल से जारी ICC ट्रॉफी का सूखा खत्म कर दिया। इससे पहले टीम ने अपना इकलौता ICC टूर्नामेंट साल 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी (तब नाकआउट ट्रॉफी) के रूप में जीता था। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट का नया वर्ल्ड चैंपियन बन गया है।

## सिफ्ट कौर सामरा ने ISSF विश्व कप 2025 म्यूनिख में जीता कांस्य पदक

भारत की निशानेबाज सिफ्ट कौर सामरा ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह पदक अपने नाम किया। 23

वर्षीय सिफ्ट ने इससे पहले 2022 एशियाई खेलों में इसी स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। म्यूनिख में हुए इस फाइनल मुकाबले में उन्होंने 453.1 का स्कोर दर्ज किया। आठ महिलाओं के फाइनल में सिफ्ट की नीलिंग और प्रोन पोजीशन में निशानेबाजी औसत रही, जिससे वह शुरुआत में लीडरबोर्ड के मध्य में थीं। एलिमिनेशन राउंड से पहले वह शीर्ष निशानेबाजों से थोड़ा पीछे हो गई थीं। हालांकि, स्टैंडिंग पोजीशन में उन्होंने लगातार 10 के स्कोर दागे और निर्णायक क्षणों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया।

## जावेद अख्तर को दोस्तोवस्की स्टार अवॉर्ड से सम्मानित

मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर को वैश्विक साहित्य और संस्कृति में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए रूसी हाउस द्वारा प्रतिष्ठित दोस्तोवस्की स्टार अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इस गौरवपूर्ण क्षण को उनकी पत्नी शबाना आजमी ने इंस्टाग्राम पर साझा किया।

## कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन

कश्मीरी लोक संगीत और संस्कृति के प्रसिद्ध पथप्रदर्शक उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिन्हें प्यार से 'हमले बुलबुल' के नाम से जाना जाता था, का 11 जून 2025 को उनके पैतृक गांव डांगीवाचा रफियाबाद, बारामुल्ला में निधन हो गया। अपनी मधुर आवाज, सारंगी पर असाधारण महारत और कश्मीरी लोक संगीत को संरक्षित करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विख्यात शाह साहब का निधन कश्मीर के कलात्मक और सांस्कृतिक इतिहास में एक स्वर्णिम युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है।

## अतीका रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में शीर्ष 10 में स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बनीं

10 वर्षीय भारतीय रेसिंग सनसनी अतीका मीर ने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में शीर्ष 10 में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाली वह पहली भारतीय बन गई हैं। रोटेक्स यूरो ट्रॉफी एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्टिंग प्रतियोगिता श्रृंखला है। चेक गणराज्य के स्टील रिंग सर्किट में आयोजित रोटेक्स यूरो ट्रॉफी राउंड-2 में अतीका मीर ने नौवां स्थान प्राप्त किया।

## आर्य बोरसे और अर्जुन बबूता की जोड़ी ने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक

जर्मनी में जारी शूटिंग विश्व कप में 14 जून को आर्य बोरसे और अर्जुन बबूता की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय जोड़ी ने चीन के जिफेंग वांग और लिहाओ शेंग को 17-7 से हराया। इससे पहले क्वालिफिकेशन राउंड में इस जोड़ी ने 635.2 अंक प्राप्त कर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं, उसी राउंड में वांग और शेंग की जोड़ी ने 635.9 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

## क्रिकेट में बनी हाफ कैच अमान्य

क्रिकेट के नियमों के संरक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने सीमा रेखा (बाउंड्री) के बाहर से हवा में छलांग लगाकर की जाने वाली 'बनी हाफ' (हवा में एक से ज्यादा बार उछलकर) कैच को अमान्य घोषित कर दिया है। नया नियम 17 जून से बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से लागू होगा। इस नए नियम के लागू होने के बाद बीबीएल 2023 के दौरान माइकल नेसर और 2020 में मैट रेनशा की मदद से टाम बेंटन द्वारा लिए गए जैसे शानदार कैच आगे से वैध नहीं माने जाएंगे।

# नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एसडीआरएफ मुख्यालय सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 713 / स्था-3/ भर्ती / 2025

रायपुर दिनांक 12/06/2025

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम एवं पदोन्नति नियम, 2017 के तहत अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छ०ग० के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की वेबसाइट <https://cghgcd.gov.in> पर दिनांक 01.07.2025 से ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। मेनुअल अथवा डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। भर्ती प्रक्रिया रायपुर छत्तीसगढ़ में सम्पन्न की जावेगी।

01-प्राधिकार (1) छ०ग० शासन, गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 13-02/दो-गृह/न.से./2022 दिनांक 26.03.2024

02- रिक्त पदों का विवरण

क्र	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से नगर सैनिकों के लिए आरक्षित पद				योग	वेतन मैट्रिक्स लेबल
		अना	अज्ञा	अज्ञा	अ.पि.व	अना	अज्ञा	अज्ञा	अ.पि.व	अना	अज्ञा	अज्ञा	अ.पि.व	अना	अज्ञा	अज्ञा	अ.पि.व		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक)	9	2	7	3	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	21	7
2	वाहन चालक	6	2	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	14	4
3	वाहन चालक कम ऑपरेटर	36	10	28	12	10	3	8	3	3	1	2	1	9	2	7	3	86	4
4	फायर मेन	49	14	38	16	14	4	11	4	4	1	3	1	12	3	9	4	117	4
5	स्टोर कीपर	13	4	10	5	3	1	3	1	1	-	1	-	3	1	2	1	32	4
6	मैकेनिक	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4
7	वाचरूम ऑपरेटर	8	2	6	3	2	-	1	-	यह पद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जावेगा।								19	4
8	वायरलैस ऑपरेटर (संविदा)	2	-	1	1	-	-	-	-	यह पद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जावेगा।								04	एकमुश्त मासिक संविदा वेतन
<b>योग</b>																		295	

टीप:- अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक पद के लिये आवेदन कर सकेंगे एक से अधिक पदों के लिये आवेदन मान्य नहीं होगा।

- 03- ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि- 01.07.2025
- 04- ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि- 31.07.2025
- 05- त्रुटि सुधार हेतु- 10.08.2025
- 06- परीक्षा शुल्क- अनारक्षित वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग रू० 300-00  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग रू० 200-00

### 07- महत्वपूर्ण निर्देश-

- (1) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- (2) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। शासकीय सेवकों के पुत्र / पुत्री के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी, जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण के समय अपने माता व पिता की सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग है तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (3) न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही आरक्षण का लाभप्रदाय

किया जायेगा। उन्हें जिला सेनानी से उक्ताशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

- (4) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वे पद ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) तथा जिन्होंने पूर्व में किसी शासकीय सेवा में नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ न लिया हो के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभिवचन का नमूना निम्नानुसार है।

### अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

छ०ग० अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा परीक्षा के विज्ञापन क्रमांक के अंतर्गत आवेदन पत्र विभाग को प्रस्तुत किया है तथा मैं छत्तीसगढ़ निवासी भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मैंने पूर्व में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

हस्ताक्षर-----  
नाम-----

नोट:- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु पूर्व में भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया है, उन्हें पुनः भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

- टीप :- (i) भूतपूर्व सैनिक थल सेना/जल सेना / वायु सेना  
(ii) अर्ध सैनिक बल भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
- (5) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण खण्डवार सीधा आरक्षण है पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उस पद को उसी संवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरा जायेगा। यदि भूतपूर्व सैनिक एवं नगर सैनिक के आरक्षण संवर्ग में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उन पदों को उस संवर्ग के अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

क्रमशः

(6) परिवीक्षा- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।  
08- चयन/भर्ती हेतु पात्रता: सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्-

**(i) शारीरिक अर्हता :-**

- (क) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 168 से.मी. या अधिक।  
महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 153 से.मी. या अधिक।
- (ख) अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए।
- (ग) सीना-बिना फुलाये 81 से.मी. फुलाने पर 86 से.मी. अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 76 से.मी. फुलाने पर 81 से.मी. सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में दोनों के बीच का अंतर न्यूनतम 5 से.मी. का होना चाहिए तथा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जायेगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता / परीक्षा से मुक्त होगी।
- (घ) अभ्यर्थी के घुटनों को एक साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिये एवं पैर सपाट नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को दृष्टि से संबंधित कोई भी बीमारी/ विकार नहीं होना चाहिये। चश्मे के बिना एक आंख की दृष्टि 6/9 से कम नहीं होना चाहिये और दूसरी आंख की दृष्टि 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को सभी रंगों के लिये स्पष्ट दृश्यता होना चाहिये और वर्णांधता नहीं होनी चाहिये। अभ्यर्थी को किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को सुनने में समस्या नहीं होना चाहिये।

**(ii) शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-**

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता
1	स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में बी.एस.सी./बी.ई. की उपाधि या उसके समकक्ष
2	वाहन चालक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
3	वाहन चालक कम ऑपरेटर	(2) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंस होना चाहिए
4	फायर मेन	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
5	स्टोर कीपर	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
6	मैकेनिक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / मान्यता प्राप्त संस्था से डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा।
7	वाचरूम ऑपरेटर	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित नगर सैनिक
8	वायरलैस ऑपरेटर (संविदा)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित वायरलैस ऑपरेटर सहित नगर सैनिक होना चाहिए

(iii) आयु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक ना हो, परन्तु छ०ग० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18.01. 2024 द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी।

**उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-**

- (i) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-कीमी लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ii) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :-
- (क) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
- (ख) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी / स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- (ग) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात

किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वहा उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण** शब्द छंटनी किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(घ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिकतम न हो।

**स्पष्टीकरण-** शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो,

**अर्थात् :-**(छ०ग० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 12.03.2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किये गये आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें -

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा अर्धसैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है)

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक योग्य नहीं हैं।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ड) विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे सम्मान, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**टीप :-**

- (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा / चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने पश्चात् या तो परीक्षा / चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
- (2) किसी भी अन्य मामले ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को

परीक्षा / चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

- (3) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा / तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभप्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3, नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- (iv) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- (v) **यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज / प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-**
- (i) शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-i एवं ii (क), (ख), (ग), (घ), (ज), (झ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी / नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-ii (ड) के अंतर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र तथा विधवा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-ii (च) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए जिला मजिस्ट्रेट /सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (v) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-ii (छ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
- (vi) विज्ञापन की कंडिका-08 (iv) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव का प्रमाण-पत्र।
- 09- चयन प्रक्रिया - प्रतियोगी परीक्षा की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार आयोजित की जायेगी:-**
- (i) **आवेदन पत्रों की छानबीन** आवेदन पत्रों की छानबीन करते हुए समस्त विहित मापदण्ड/अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम चरण (शारीरिक दक्षता परीक्षा) के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी।
- (ii) **शारीरिक माप के लिये मापदण्ड** अभ्यर्थी की शारीरिक योग्यता, सरल क्रमांक 08 के उप क्रमांक (i) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मापदण्ड / योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। टीप शारीरिक माप से संबंधित किसी विवाद के संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (iii) **शारीरिक दक्षता परीक्षा** यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी।
- (क) स्टेशन आफिसर उपनिरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 300 अंको की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी :-

क्र	मद (आयटम) पुरुष अभ्यर्थी	अंक	मद (आयटम) पुरुष अभ्यर्थी	अंक
1	2	3	4	5
1-	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	60	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	60
	12 फिट (3.66 मीटर) तक	00	08 फिट (2.44 मीटर) तक	00
	14 फिट (4.27 मीटर)	12	10 फिट (3.05 मीटर)	12
	16 फिट (4.88 मीटर)	24	12 फिट (3.66 मीटर)	24
	17 फिट (5.18 मीटर)	36	13 फिट (3.96 मीटर)	36
	18 फिट (5.49 मीटर)	48	14 फिट (4.27 मीटर)	48
	19 फिट (5.79 मीटर) या अधिक	60	15 फिट (4.57 मीटर) या अधिक	60
2-	ऊँची कूद (तीन प्रयास)	60	ऊँची कूद (तीन प्रयास)	60
	04 फिट (1.22 मीटर) तक	00	03 फिट (0.91 मीटर) तक	00

	04 फिट 02 इंच (1.27 मीटर)	12	03 फिट 02 इंच (0.97 मीटर)	12
	04 फिट 04 इंच (1.32 मीटर)	24	03 फिट 04 इंच (1.02 मीटर)	24
	04 फिट 06 इंच (1.37 मीटर)	36	03 फिट 06 इंच (1.07 मीटर)	36
	04 फिट 06 इंच (1.42 मीटर)	48	03 फिट 08 इंच (1.12 मीटर)	48
	04 फिट 10 इंच (1.47 मीटर) या अधिक	60	03 फिट 10 इंच (1.17 मीटर) या अधिक	60
3-	गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 16 पाउण्ड	60	गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 08 पाउण्ड	60
	04 मीटर तक	00	04 मीटर तक	00
	05 मीटर	12	05 मीटर	12
	06 मीटर	24	06 मीटर	24
	07 मीटर	36	07 मीटर	36
	08 मीटर	48	08 मीटर	48
	09 मीटर या अधिक	60	09 मीटर या अधिक	60
4-	100 मीटर दौड़	60	100 मीटर दौड़	60
	12.5 सेकेण्ड या कम	60	14.5 सेकेण्ड या कम	60
	13.5 सेकेण्ड	48	15.5 सेकेण्ड	48
	14.5 सेकेण्ड	36	16.5 सेकेण्ड	36
	15.5 सेकेण्ड	24	17.5 सेकेण्ड	24
	16.5 सेकेण्ड	12	18.5 सेकेण्ड	12
	16.5 सेकेण्ड से अधिक	00	18.5 सेकेण्ड से अधिक	00
5-	दौड़ 1500 मीटर	60	दौड़ 1500 मीटर	60
	5 मिनट	60	6 मिनट	60
	5 मिनट 10 सेकेण्ड	48	6 मिनट 10 सेकेण्ड	48
	5 मिनट 20 सेकेण्ड	36	6 मिनट 20 सेकेण्ड	36
	5 मिनट 30 सेकेण्ड	24	6 मिनट 30 सेकेण्ड	24
	5 मिनट 40 सेकेण्ड	12	6 मिनट 40 सेकेण्ड	12
	5 मिनट 40 सेकेण्ड से अधिक	00	6 मिनट 40 सेकेण्ड से अधिक	00

- (ख) वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर, फायरमेन, स्टोरकीपर, मेकेनिक, वाचरूम आपरेटर एवं वायरलेस आपरेटर संविदा पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों में से, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक अर्जित करने होंगे, इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी :-

**दौड़-100 मीटर अधिकतम अंक-25**

**पुरुष-100 मीटर दौड़ 10 कि.ग्रा. वजन के साथ महिला 100 मीटर दौड़ 5 कि.ग्रा. वजन के साथ**

पुरुष		महिला	
समय सेकेण्ड में	अंक	समय सेकेण्ड में	अंक
15 सेकेण्ड	25	15 सेकेण्ड	25
16 सेकेण्ड	20	16 सेकेण्ड	20
17 सेकेण्ड	15	17 सेकेण्ड	15
18 सेकेण्ड	10	18 सेकेण्ड	10
19 सेकेण्ड	05	19 सेकेण्ड	05
20 सेकेण्ड	00	20 सेकेण्ड	00

**लंबी कूद-अधिकतम अंक-25**

पुरुष		महिला	
लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
03 मीटर से कम	00	02 मीटर से कम	00
03 मीटर 50 से.मी.	05	02 मीटर 50 से.मी.	05
03 मीटर 75 से.मी.	09	03 मीटर	09
04 मीटर	13	03 मीटर 25 से.मी.	13
04 मीटर 50 से.मी.	17	03 मीटर 75 से.मी.	17
05 मीटर	21	04 मीटर	21
05 मीटर 50 से.मी. से अधिक	25	04 मीटर 25 से.मी. से अधिक	25

**गोला फेंक अधिकतम अंक-25**

**पुरुष-गोला फेंक (वजन-08 पाउण्ड)**

**महिला-गोला फेंक (वजन-16 पाउण्ड)**

पुरुष		महिला	
लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
05 मीटर 50 से.मी. से कम	00	4 मीटर से कम	00
05 मीटर 50 से.मी.	05	4 मीटर	05
06 मीटर	09	04 मीटर 50 से.मी.	09
06 मीटर 50 से.मी.	13	05 मीटर	13
07 मीटर	17	06 मीटर	17
08 मीटर	21	07 मीटर	21
09 मीटर या अधिक	25	08 मीटर या अधिक	25

**बीमबार अधिकतम अंक-25**

**पुरुष-बीमबार**

**महिला-बीमबार**

पुरुष		महिला	
संख्या	अंक	संख्या	अंक
12 बार	25	06 बार	25
10 बार	22	05 बार	22
08 बार	15	04 बार	15
06 बार	10	03 बार	10
05 बार	05	02 बार	05
04 बार या कम	00	01 बार या कम	00

(iv) लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा परीक्षा की कुल अवधि दो घंटों की होगी। निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा :-

क	चरण	कुल अंक	विषय	अनिवार्य प्राप्तांक
1	लिखित परीक्षा	100	विषय विशिष्ट, सामान्य ज्ञान / तार्किक / विश्लेषणात्मक तर्क	सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 30 अंक प्राप्त करना/अर्जित करना अनिवार्य होगा।

वाहन चालक/वाहन चालक ऑपरेटर ट्रेड के अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी, इसके लिये कुल 100 अंक होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना/अर्जित करना होगा।

10- **बोनस अंक :-** प्रत्येक अभ्यर्थी को 05 बोनस अंक दिया जायेगा, यदि यह नीचे उल्लिखित विशेष योग्यता धारण करता हो। किन्तु अभ्यर्थी को अधिकतम 10 बोनस अंक दिये जायेगे, भले ही अभ्यर्थी दो से अधिक विशेष योग्यता धारण करता हो। ये विशेष योग्यतायें हैं :-

- (क) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंसधारी,
- (ख) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में प्रवीणता। (केवल वे अखिल भारतीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता जिनका सीधा आयोजन उस खेलकूद के अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत किया जाता है, वहां के केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी)।
- (ग) **एन.सी.सी.सी** प्रमाण पत्र धारी।

टीप:- भारी मोटर वाहन चालक का लायसेंसधारी होने पर बोनस अंक वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर के पदों को छोड़कर शेष पदों हेतु प्रदाय किये जायेंगे।

11- **चयन सूची:-** स्टेशन ऑफिसर (उपनिरीक्षक) पद हेतु, शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 300, लिखित परीक्षा अंक 100 एवं बोनस अंक 10 केवल पात्रतानुसार के आधार पर तथा शेष पदों यथा वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर, फायरमेन, स्टोरकीपर, मैकेनिक, वाचरूम आपरेटर एवं वायरलैस आपरेटर (संविदा) हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 100, लिखित परीक्षा अंक 100 एवं बोनस अंक 10 (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जायेगी। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं बोनस अंकों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट कम के आधार पर सूची तैयार की जायेगी। सर्वप्रथम, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं जो अनारक्षित पदों के लिए सभी मापदण्ड पूरा करते हैं। शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के आधार पर, उनके अपने-अपने जाति/श्रेणी प्रवर्गों के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के अनुसार पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।

12- **चयन सूची का अनुमोदन** लिखित परीक्षा एक बार आयोजित होगी और चयन सूची अग्निशमन एवं आपातकालीन तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय द्वारा विहित अनुसूची के अनुसार तैयार की जायेगी, चयन समिति समस्त आवश्यक अभिलेख महानिदेशक को अनुमोदन हेतु भेजेगी। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार सूची का परीक्षण, विचारण तथा जांच करने के पश्चात् अनुमोदन आदेश जारी किये जायेंगे।

13- **परीक्षा फीस (शुल्क) :-**  
(क) अभ्यर्थी को समिति द्वारा विहित फीस (शुल्क) का भुगतान करना होगा।  
(ख) चिकित्सा (स्वास्थ्य) परीक्षा फीस: उन अभ्यर्थियों को जिन्हें किसी चिकित्सीय परीक्षा हेतु चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो स्वास्थ्य परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा / टेस्ट फीस का भुगतान करना होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।

- 14- **निरर्हता**
- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में / चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।
  - (2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
  - (3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये।

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।
- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

**15- अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा**

- (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी। आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

- 01- छ०ग० राज्य का मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
- 02- शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र
- 03- उच्चतर आयु में छूट प्राप्त करने के लिए वांछित प्रमाण पत्र।
- 04- आरक्षण का लाभ करने के लिए जाति प्रमाण पत्र।
- 05- आय प्रमाण पत्र (गैर क्रीमीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)
- 06- भूतपूर्व सैनिकों/नगर सैनिकों के मामले में वांछित प्रमाण पत्र।
- 07- बोनस अंक हेतु-01 हेवी व्हीकल ड्राइविंग लायसेंस 02 नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 03 एनसीसी-सी सर्टिफिकेट।

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये की जाने वाली चयन प्रक्रियाएँ माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधधीन होंगी।

# कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जिला बीजापुर (छ.ग.)

फोन नं. 7853296423 ई-मेल nrhm2bijapur@gmail.com, dtbijapur1@gmail.com

क्रमांक. / 474 / NIIM / संविदा भर्ती/विज्ञापन / 2025 /

बीजापुर, दिनांक 13/06/2025

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला बीजापुर अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त संविदा पदों हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से विभागीय वेबसाइट में दिनांक 16.06.2025 से दिनांक 30.06.2025 तक कार्यालयीन समय 5.00 बजे तक लिंक <https://govthealth.cg.gov.in/recBijapurCont2025> के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। स्वयं उपस्थित होकर, साधारण डाक, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर डाक या अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

रिक्त पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	कार्यक्रम का नाम	पद का नाम	मासिक मानदेय	कुल रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या				शैक्षणिक योग्यता
					UR	SC	ST	OBC	
1	NHM	Physiotherapist	18000/-	03	00	00	03	00	Bachelor's Degree in Physiotherapy (B.P.T.) with Registration in CG Council.
2	NPCB	Ophthalmic Assistant	12000/-	01	00	00	01	00	12th Passed, Two year Diploma course in Optometry or trained as a Ophthalmic Assistant in any of the recognized Government Hospitals as per guidelines of NPCB. Desirable:-Familiariy with computer and internet use. Registraion in CG Council.
3	RBSK	Medical Officers (RBSK) (Male)	25000/-	02	00	00	02	00	BHMS/BAMS/BUMS Degree Registration from any GOI Reconised (BAMS/BHMS/BUMS) Ayush, Homeo, Unani Registration Board of CG
4	NPPCD	Technical Assistant- Audiometric	15000/-	01	01	00	00	00	Diploma in Hearing Language and speech (DHLS) from RCI Recognized institute
5	NPPCD	Technical Assistant- Impaired Children hearing	15000/-	01	01	00	00	00	Diploma in Training young deaf and hearing handicapped (DTYDHH) from RCI Recognized institute
6	NHM	Radiographer	15000/-	01	00	00	01	00	(1) 10+2 पद्धति में 12वी. कक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) क्ष-किरण तकनीशियन /रेडियोग्राफर का, छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए (3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से रेडियोग्राफर/क्ष-किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए।
7	NHM	Laboratory Technicians (NHM)	14000/-	02	00	00	02	00	DMLT /BMLT /पैथालॉजी में पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में अनिवार्य पंजीयन।
8	BPHU	Laboratory Technicians (BPHU)	14000/-	02	00	00	02	00	DMLT /BMLT /पैथालॉजी में पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में अनिवार्य पंजीयन।
9	AAM	Community Health Officer (CHO)	16500/-	37 (05-OL, OA)	00	02	28 (8-Female)	07 (2-Female)	B.Sc. Nursing with Certificate in Community Health Integrated Course. Registration in Chhattisgarh Nursing Council. Or Post Basic Nursing with Certificate in Community Health Integrated Course. Registration in Chhattisgarh Nursing Council.
10	SNCUA	Aya Bai	8800/-	01	00	00	01	00	8 <sup>th</sup> Pass
11	NRC	Cook Cum Care Taker	8800/-	01	00	00	01	00	8 <sup>th</sup> Pass
12	NHM	Jr Secretarial Assistants	12000/-	01	00	00	00	01	Graduation with at least 1 year Diploma in Computer Application
13	NOHP	Dental Surgeon/Dentist	27500/-	04	00	00	03	01	BDS (Bachelor of Dental Surgery) with Registration Dental Council of CG Registration
<b>Total</b>				<b>57</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>44</b>	<b>09</b>	

## विज्ञापन नियम एवं शर्तें :-

- पात्र-अपात्र सूची, दावा आपत्ति निराकरण, कौशल परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से जिले के वेबसाइट [www.bijapur.gov.in](http://www.bijapur.gov.in) में तथा कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा की जावेगी। अन्य किसी और माध्यम से सूचना नहीं दी जावेगी। अभ्यर्थी समय-समय पर जिले की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।
- विज्ञापन का प्रारूप एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट [www.bijapur.gov.in](http://www.bijapur.gov.in) में उपलब्ध है।
- सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी छत्तीसगढ़ मानव संसाधन नीति 2018 के नियमों के अधीन होगा।
- निर्धारित समय सीमा में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न

तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन / कौशल परीक्षा हेतु आहुत किया जावेगा:-

क्र	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग / साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुणा
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुणा
3	50 से अधिक होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुणा

- 5 दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के साथ अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा:-
  - 1 8वीं/10वीं की अंकसूची
  - 2 12वीं की अंकसूची
  - 3 स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंकसूची
  - 4 कम्प्यूटर संबंधी अंकसूची / डिप्लोमा
  - 5 संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (जिन पदों हेतु लागू हो)
  - 6 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
  - 7 मूल निवास प्रमाण पत्र।
  - 8 अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने, समक्ष अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा।
  - 9 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
  - 10 आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/वोटर आई.डी.
  - 11 अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  - 12 अन्य अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
- 6 दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र माना जावेगा।
- 7 दावा आपत्ति केवल निर्धारित तिथि व समय में किया जावेगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति को अस्वीकार करते हुए विचार नहीं किया जावेगा।
- 8 उपरोक्त पदों हेतु संलग्न किये गये दस्तावेज मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/संस्था/ विश्वविद्यालय से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (समस्त सेमेस्टर / समस्त वर्षों की अंक सूची) एवं कम्प्यूटर से संबंधित डिग्री/डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से होना अनिवार्य है।
- 9 अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 10 अभ्यर्थी को आनलाईन आवेदन में नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की छायापति एवं अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा, वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रमाण पत्र में जारीकर्ता कार्यालय का जावक क्रमांक व तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
- 11 वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में एस.डी. आर.एफ., डी.एम.एफ. सी.एस.आर. अंतर्गत एक वर्ष में 06 माह तक कार्यानुभव रखने वाले कर्मचारियों को अनुभव का 10 बोनस अंक प्रदान किया जावेगा।
- 12 संबंधित पद के कार्य अनुभव हेतु (अन्य अभ्यर्थियों को) प्रति वर्ष 02 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष हेतु (कुल 10 अंक) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष हेतु (कुल 15 अंक) दिया जायेगा।  
**(अ) अनुभव 15 अंक** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को 03 अंक प्रतिवर्ष के आधार पर अधिकतम 15 अंक देय होगा।  
**(ब) अनुभव 10 अंक** अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को 02 अंक प्रतिवर्ष के आधार पर अधिकतम 10 अंक देय होगा।  
**(स) अपर सचिव छ.ग.** शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश पत्र क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह /एक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07 दिसम्बर 2021 के तहत कोरोना वैश्विक महामारी के दारौन छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को संबंधित पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा। उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
- 13 मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का विज्ञापन क्रमांक / एनएच. एम / एच.आर./2022/एन. एस-29/107 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11.04.2022 के सदर्थ अनुसार अभ्यर्थी द्वारा यदि अ.ब.स तीनों में से दो अथवा तीन अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उस दोनो अथवा तीनों में केवल एक का ही लाभ दिया जावेगा।
- 14 कोविड-19 में कार्य किये जाने का बोनस अंक का लाभ केवल उन्ही अभ्यर्थियों को दिया जावेगा जिनके द्वारा कोविड-19 में कार्य करने की नियुक्ति आदेश की प्रति एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया हो।
- 15 पद से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं वित्त पोषित संस्थाओं के अनुभव मान्य होंगे। किसी पद से संबंधित प्रशिक्षण एवं निःशुल्क सेवा कार्य के अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अनुभव प्रमाण-पत्र को मान्य नहीं किया जावेगा।
- 16 कौशल परीक्षा 20 अंक पद के अनुरूप लिखित / कम्प्यूटर बेस / साक्षात्कार आदि के रूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी।
- 17 किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के कुट्टरचित / मिथ्या/असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी

- की नियुक्ति निरस्त की जावेगी। अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी:
- 18 नर्सिंग संवर्ग हेतु-**
- 1 शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत का 60 प्रतिशत अंक**
- 2 अनुभव -10 अंक/20 अंक (जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानीनों को 4 अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक तथा गैर मितानीन अभ्यर्थियों को 10 अंक) (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक, अधिकतम 15 अंक) प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक/03 अंक/04 अंक अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगा तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेंगे।
- 3 वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में एस.डी.आर.एफ., डी.एम.एफ. सी.एस.आर. अंतर्गत एक वर्ष में 06 माह तक कार्यानुभव रखने वाले कर्मचारियों को अनुभव का 10 बोनस अंक प्रदान किया जावेगा।
- 4 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जावेगा।
- 5 जी.एन.एम / नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानीन अभ्यर्थियों को मितानीन के रूप में एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुये अधिकतम 20 अंकों का लाभ दिया जायेगा उपरोक्त प्रावधान 31 दिसम्बर 2017 तक जी.एन.एम. / नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो चुकी मितानीनों के लिए ही लागू होगा। कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा।

**अन्य समस्त पदों हेतु:-**

- 11 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको का प्रतिशत का 65 प्रतिशत।
- 12 अनुभव -10 अंक/15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किये जायेंगे। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक, अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष 02 अंक, अधिकतम 10 अंक) न्यूनतम एक वर्ष होने उपरांत ही अनुभव मान्य होगा।
- 13 शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- 14 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जावेगा।
- 15 अंतिम मेरिट सूची शैक्षणिक योग्यता अनुभव कौशल परीक्षा के आधार पर तैयार की जावेगी।

**सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद हेतु**

- 7 Community Health Officer (CHO) के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन पर अंकित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पद मेरिट तैयार की जावेगी (बीएससी नर्सिंग / पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अंतिम वर्ष की अंकसूची में अंकित एग्ग्रेगट अंक को आवेदन में भरा जावे) इसी मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।
- 8 Community Health Officer (CHO) के पद पर ऐसे अभ्यर्थी जो सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course) उत्तीर्ण हो उन्हे विज्ञापन में संलग्न Appendix-1 अनुसार Integrated Course उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर कराकर आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- 9 Community Health Officer (CHO) पद हेतु संबंधित नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- 19 एक से अधिक पदों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग आवेदन पंजीयन कराना होगा।
- 20 चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शैक्षणिक योग्यता 8वीं में ग्रेडिंग का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

प्राप्तांको का औसत प्रतिशत		
ग्रेड	अंको का प्रतिशत	प्रतिशत
A	81-100	90%
B	66-80	72%
C	51-65	58%
D	36-50	43%

- नोट:-** यदि अंकसूची में ग्रेड एवं अंक दोनो अंकित है तो प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत निर्धारित की जायेगी।
- 21 आवेदकों को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी स्तर से जारी प्रमाण पत्र मूलतः लाना होगा।
  - 22 नर्सिंग ऑफिसर के संविदा पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2025 से की जावेगी।
  - 23 जाति के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
  - 24 अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
  - 25 चयन प्रक्रिया, परिणाम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीजापुर के सूचना पटल पर एवं जिले की वेबसाईट [www.bijapur.gov.in](http://www.bijapur.gov.in) में संलग्न किया जावेगा।
  - 26 सभी नियुक्तियों संविदा आधार पर 31.03.2026 तक एवं पूर्णतः अस्थाई एवं अस्थानांतरणीय है। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उपरोक्त अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
  - 27 शासकीय / अर्धशासकीय में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  - 28 प्रशासकीय कारणों से विज्ञापन को निरस्त भी किया जा सकता है एवं योग्य उम्मीदवार नहीं होने की दशा में अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।
  - 29 उक्त पदों पर चयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जावेगा।
  - 30 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा ऑनलाईन आवेदन में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानीपूर्वक सही व पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन में कोई भी जानकारी अपूर्ण, अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना किसी पूर्व सूचना दिये आवेदन, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
  - 31 भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या का निराकरण करने एवं अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बीजापुर का होगा।
  - 32 आरक्षण जिले में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जावेगा।
  - 33 अंतिम चयन सूची व प्रतीक्षा सूची की वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी 1 वर्ष तक के लिए वैध रहेगी, इस दौरान पद रिक्तता की स्थिति में उक्त प्रतीक्षा सूची से पदपूर्ति की जा सकेगी।
  - 34 नियुक्ति के पश्चात् भी लिपिकीय त्रुटि पाए जाने पर चयन समिति द्वारा नियुक्ति आदेश को निरस्त किये जाने का अधिकार है।
  - 35 पात्र अपात्र, दावा आपत्ति, कौशल परीक्षा एवं चयनित उम्मीदवारों की सूची कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट [www.bijapur.gov.in](http://www.bijapur.gov.in) पर देखी जा सकेगी एवं अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दिया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला बीजापुर (छ.ग.)

**कार्यालय का नाम एवं पता**

क्रमांक दिनांक

**शासकीय स्वास्थ्य संस्था द्वारा, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए जारी किये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप**

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कु.....पिता / पति का नाम..... से.....इस संस्था में .....के पद पर दिनांक तक सविदा/दैनिक वेतन भोगी / अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। थे। उक्त कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय / संस्था में लगातार छः माह तक या छः माह से अधिक (कुल वर्ष माह दिन) तक सेवा दिया गया है। था। छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह /एक दिनांक 07.12.2021 के परिपालन में श्री.....को.....जारी विज्ञापन क्रमांक.....दिनांक..... में विज्ञापित सीधी भर्ती के पद.....(पद का नाम) में चयन हेतु 10 बोनस अंक की पात्रता है।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर  
पदमुद्रा सहित

**संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़**  
**नवा रायपुर अटल नगर**  
**(इंद्रावती भवन, ब्लॉक-4, प्रथम तल, नवा रायपुर-अटल नगर)**  
**0771-2510530 E-mail id: dettrgcg@rediffmail.com)**

**:: शुद्धि-पत्र ::**

छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास विभाग के अधीन संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITI) एवं विशेष (आदिवासी) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITI) में सत्र 2025-26 एवं 2025-27 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन रजिस्ट्रेशन हेतु विज्ञापन समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की गई है। जारी विज्ञापन की प्रति के बिन्दु क्रमांक-1, 2 एवं 9 पर त्रुटिवश विभागीय वेबसाईट [cg.iti.admissions.nic.in](http://cg.iti.admissions.nic.in) का उल्लेख है, जबकि नए विभागीय वेबसाईट [cgiti.admissions.nic.in](http://cgiti.admissions.nic.in) है तथा बिन्दु क्रमांक 7 व्यवसाय ड्रायवर कम मैकेनिक में प्रवेश के लिये आवेदक का न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष एवं शेष व्यवसायों के लिये 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं है, का उल्लेख है। जबकि न्यूनतम आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से की जानी है।

संचालक  
रोजगार एवं प्रशिक्षण  
आर.ओ.72/जी-252601585.5



**Kushabhau Thakre**  
**Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya**  
University of Journalism & Mass Communication  
Kathadih (Bhatagaon), Raipur- 492013, Chhattisgarh. [www.ktjum.ac.in](http://www.ktjum.ac.in)

**Admission Notice 2025**

**Under Graduate Courses (Hon.)**

- BA (Mass Communication)
- B.Sc. (Multimedia)
- B.Sc. (Electronic Media)
- B.Sc. (Graphics and Animation)
- BBA (Bachelor of Business Administration)
- BBA (Hospital Administration)
- BBA (E-Commerce)

**Post Graduate Diploma Courses**

- PGD Journalism
  - PGDCA
  - Event Management
  - Corporate Communication
- For Carrier Guidelines and Course Curriculum please contact the respective Heads of Department.

Applications are invited for vacant seats. For more information regarding online applications and admissions, please visit the university website: [www.ktjum.ac.in](http://www.ktjum.ac.in). For online application form fillup / Computer related difficulties please call on Admission Cell : 093035-08186 Help Desk Contact No.: 0771-2969202

**Post Graduate Courses**

- MJ (Master of Journalism)
- MA (Advertising and Public Relations)
- MA (Mass Communication)
- MA (Health Communication)
- MA (Tourism and Travel Communication)
- MA (Rural and Tribal Communication)
- MA (Digital Media)
- M.Sc. (Electronic Media)
- MA (Film Studies)
- MBA (Hospital Administration)
- MBA (Media Management)
- MBA (Human Resource Development)
- MA (Prayojanmulak Hindi, Sahitya Avam Anuvad)
- MA (Chhattisgarhi)
- MSW, B.Lib & I.Sc, M.Lib & I.Sc

**Important Date:**  
Declaration of Merit List : 30/06/2025  
Last Date of Admission : 05/07/2025  
Vacant Seats Merit List : 12/07/2025  
Sunil Kumar Sharma S.A.S.  
Registrar

R.O69/Samvad-44260/9

**ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा)**

चतुर्थ तल, ब्लॉक-ए, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर 490002 (छ.ग.)  
फोन एवं फैक्स नं.- 0771-2511766 email-handloomraipur@gmail.com

**डिप्लोमा इन हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश तिथि में वृद्धि हेतु संक्षिप्त विज्ञापन**

भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चाम्पा/बरगढ़ में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी में प्रवेश हेतु विज्ञापन क्रमांक 252600942 दिनांक 16.05.2025 के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिये प्रवेश की अंतिम तिथि 10.06.2025 निर्धारित थी। निर्धारित समय अवधि में अपर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण उक्त पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर हेतु रिक्त 23 सीट तथा Lateral Entry के माध्यम से सीधे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिये रिक्त 22 सीटों में प्रवेश के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों से पुनः दिनांक 30/06/2025 को सायं 5.00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र वेबसाईट [www.iihtchampa.org.in](http://www.iihtchampa.org.in) से डाउनलोड कर या सीधे संस्थान में उपस्थित होकर प्राचार्य, भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, मड़वा प्लांट रोड, लखनपुर चौक, चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) 495669 में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में मो. नं. 70490-46588 पर संपर्क किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक  
ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा  
छत्तीसगढ़ रायपुर  
आर.ओ.70/जी-252601612.3

# कार्यालय प्रबंध संचालक

## जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित वनमण्डल गरियाबंद

### जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

क्रमांक स्थापना/प्रबंधक भर्ती 2025/2018

Phone-07706-296148 Email- mdgariyaband@gmail.com

गरियाबंद, दिनांक 30/05/2025

जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित गरियाबंद प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में प्रबंधकों के रिक्त पद की भर्ती करने के लिए निर्धारित सेवा शर्तें अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 30/06/2025 समय 5:00 बजे तक तक कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित गरियाबंद (छ.ग.) के नाम से पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

किया गया कम्प्यूटर साईस/इन्फारमेशन टेक्नालॉजी/माडर्न आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)।

- (स) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिप्लोमा युनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय /भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस /इन्फारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि।
- (द) DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।
- (ई) कम्प्यूटर विषय में मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा (Diploma in Computer Application) DCA I
5. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ विज्ञापन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद जारी कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. शासकीय अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किये गये समस्त प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न न होने अथवा उक्त दस्तावेजों के स्वप्रमाणित न होने के स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।
8. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।
10. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद एवं समस्या पर प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित पदेन सहायक पंजीयक गरियाबंद का निर्णय अंतिम होगा।

क्र	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम	पदनाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित वर्ग	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाले तेन्दूपत्ता फड़ गांव का नाम जहां के निवासी से आवेदन प्राप्त होना है।	कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है।
1	2	3	4	5	6	7
1	चिखली	प्रबंधक	01	अनारक्षित	छैला, चिखली, घुमरापदर, हल्दीपारा, जूनापानी, फल्सापारा	प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.)
2	कसाबाय	प्रबंधक	01	अनारक्षित	डहीबाहरा, कारीडोंगरी, पतोरदादर, सातथार, उंडा कसाबाय,	
3	टेंगनाबासा	प्रबंधक	01	अनारक्षित	धरमपुर, गनबोरा, कांटाखुसरी, खरखरा, मोहराडीह, राजपुर, रावनाभाठा, सेंदबहरा, सिवनी, टेंगनाबासा, विजयपुर	

1. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/06/2025 शाम 5:00 बजे तक।
2. आवेदन पत्रों की जांच 07/07/2025 तक।
3. पात्र/अपात्र सूची का प्रकाशन की तिथि 10/07/2025 (जिसे वनमण्डल/जिला वनोपज सहकारी संघ मर्या. गरियाबंद कार्यालय के सूचना पटल पर एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ मर्या. रायपुर के वेबसाइट www.cgmfpfed.org एवं कलेक्टर जिला गरियाबंद के वेबसाइट gariaband.gov.in पर देखा जा सकेगा।
4. पात्र/अपात्र अभ्यर्थी के संबंध में दावा आपत्ति हेतु आवेदन की तिथि 25/07/2025 सायं 3 बजे तक (जिला यूनियन गरियाबंद कार्यालय में)
5. दावा आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात् कम्प्यूटर कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन तिथि 04/08/2025
6. प्रबंधक भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ रायपुर के वेबसाइट www.cgmfpfed.org, एवं कलेक्टर जिला गरियाबंद के वेबसाइट gariaband.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

**प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति में प्रबंधक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता एवं चयन प्रक्रिया निम्नानुसार है:-**

(अ) नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं :-

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होगी।
2. अभ्यर्थी का संस्था (समिति) क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा। (यदि आवेदक समिति क्षेत्र का बाहर का निवासी है एवं पता उक्त समिति क्षेत्र में संग्रहण किया जाता है तो अपात्र किया जावेगा।
3. यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था (समिति) क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो, जिसने नियुक्ति के पूर्व के पांच वर्ष में से कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो आवेदन के साथ तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डिग्री होना अनिवार्य है मान्यता प्राप्त संस्था निम्नानुसार रहेंगे-

(अ) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।

(ब) मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान

(ब) आयु सीमा :-

चयन में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित आयु पूरी करनी होगी अर्थात् :-

1. 1 जनवरी 2025 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
4. छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक, अजजा/अजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयंसेवी नगर सैनिकों को छ.ग. शासन के नियमानुसार आयु में शिथिलता प्रदान की जावेगी।
5. उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरान्त भी संघ के सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(स) अन्य अर्हतायें :-

1. मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
2. अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिये कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायापत्ता न हो।
3. छ.ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के संचालक मण्डल का परिभाषित संबंधी न हो।

(द) चयन प्रक्रिया :-

1. प्रबंधक पद पर चयन हेतु कुल 125 अंक निर्धारित किये जाते हैं, जो अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे :-

(क) 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के बराबर अंक प्रदान किये जायेंगे (अधिकतम 100 अंक)। (उदाहरणार्थ यदि किसी आवेदक को हायर सेकेण्डरी परीक्षा

- में 75.5 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 75.5 अंक दिये जायेंगे)
- (ख) स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के अनुपात में 1/5 अंक दिये जायेंगे (अधिकतम 20 अंक) (उदाहरणार्थ 70 प्रतिशत प्राप्तांक को 14 अंक दिये जायेंगे)
- (ग) छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा/डिग्री हेतु अधिकतम 5 अंक दिए जायेंगे। सर्टिफिकेट/डिप्लोमा हेतु 3 अंक एवं उच्चतर डिग्री हेतु 5 अंक दिये जायेंगे।
- (घ) नियम के अंतर्गत जिला यूनियन द्वारा उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची बनाई जायेगी। प्रावीण्य सूची में यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को बराबर अंक प्राप्त हैं, तो आयु में वरिष्ठता के आधार पर उम्मीदवार को वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।
- (ङ) पात्र अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर कौशल परीक्षा आयोजित किया जावेगा।
- (इ) **नियुक्ति हेतु प्रक्रिया :-**
- कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व प्रबंधक पद के लिए चयनित अभ्यर्थी का पुलिस से सत्यापन अनिवार्य होगा।
  - चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच (शासकीय चिकित्सालय) के मापदंडों में स्वस्थ पाया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी को प्रत्याभूति के रूप में रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार रूपये मात्र) नगद अथवा सावधि जमा अथवा साल्वेंसी के रूप में संस्था में जमा करना होगा।
  - चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर कार्यरत रहेगा। तत्पश्चात कार्य मूल्यांकन उपरांत आगे के वर्षों में लगातार कार्य पर रखने की कार्यवाही की जावेगी।
- (फ) **वेतन -**  
प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्या. रायपुर द्वारा निर्धारित वेतन देय होगा।
- (ग) यात्रा भत्ता:-  
प्रबंधकों को संघ द्वारा स्वीकृत दरों पर यात्रा भत्ता देय होगा।

प्रबंध संचालक  
जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित,  
गरियाबंद, छत्तीसगढ़

**आवेदन पत्र का प्रारूप**

प्रति,

प्रबंध संचालक  
जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित,  
गरियाबंद,  
आवेदित पदनाम :-----  
समिति का नाम :-----

फोटो
स्वप्रमाणित फोटो

- आवेदक का नाम :-----
- पिता/पति का नाम :-----
- जन्म तिथि (अंको में) :-----  
(शब्दों में) :-----
- दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में आयु वर्ष----माह----दिन-----
- जाति वर्ग (अना./अ.जा./आ.ज.जा./अ.पि.वर्ग) :-----  
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
- स्थायी पता :-----  
-----  
-----
- डाक व्यवहार का वर्तमान पता एवं टेलीफोन नम्बर :-----  
-----  
-----
- क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं (हां नहीं) :-----  
(यदि हां, तो प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
- लिंग (महिला/पुरुष)

पुरुष			महिला		
विवाहित	अविवाहित	विधुर	विवाहित	अविवाहित	विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा

- यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि :-----
- जीवित बच्चों की संख्या :-----
- रोजगार कार्यालय का नाम जीवित :-----  
पंजीयन क्रमांक/दिनांक :-----
- शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-----

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	कुल प्राप्तांक	श्रेणी	प्राप्तांको का प्रतिशत

- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाना न्यायालय में लंबित है अथवा न्यायालय से निराकृत हो चुका है ? यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक तथा निर्णय आदि की जानकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
  - तेन्दूपत्ता संग्रहण की वर्षवार जानकारी

वर्ष 2021		वर्ष 2022		वर्ष 2023		वर्ष 2024		वर्ष 2025	
संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या

संग्रहण कार्ड की छायाप्रति संलग्न

आवेदक के हस्ताक्षर

**घोषणा-पत्र**

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के दौरान भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

दिनांक-----  
स्थान-----

आवेदक के हस्ताक्षर

**सहपत्रों का विवरण (संलग्न किए गए सहपत्र पर सही ✓ का निशान लगावें)**

क्र	विवरण	सही ✓
1	छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र	
2	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का जाति प्रमाण-पत्र	
3	शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र	
3.1	हायर सेकेण्डरी (10+2)	
3.2	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	
3.3	मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डिग्री	
4	तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड-	
	संग्रहण वर्ष 2021	
	संग्रहण वर्ष 2022	
	संग्रहण वर्ष 2023	
	संग्रहण वर्ष 2024	
	संग्रहण वर्ष 2025	

आवेदक के हस्ताक्षर  
नाम-----  
मोबाईल नम्बर-----

# Directorate Sports & Youth Welfare Department

Sardar Vallabh Bhai Patel, International Hockey Stadium Raipur

Phone Number -0771-2262177 Email:- dir-sportsyw.cg@gov.in

## --: RECRUITMENT ADVERTISEMENT :-

Director, Sports & Youth Welfare invites application from eligible, qualified and motivated Indian Citizen for providing consultancy on contract basis initially for period of 01 years and further extendable on the basis of satisfactory performance at Khelo India State Centre of Excellence Bahatari, Bilaspur.

Post detail as Follow :-

S.No	Post	Number of Post	Remuneration
1	Head Coach Archery	1	100000-150000
2	Masseur - Grade-I (Male)	1	35000

The details of recruitment along with application form is available Director, Sports & Youth Welfare website i.e; <http://www.sportsyw.cg.gov.in>.

Director, Sports & Youth Welfare reserves all the rights to withdraw this advertisement at any time without assigning any reason. For any recruitment related query, e-mail to [dir-sportsyw.cg@gov.in](mailto:dir-sportsyw.cg@gov.in)

### --: Detail of Post :-

02. Head Coach Archery:-

#### Eligibility Condition:

#### Essential Conditions/Education Qualification:

Candidate should have diploma in Coaching from SAI/NSNIS or from any other recognized Indian/Foreign University and should have represented India in Olympics/World Cup/World Championship. Certificate Course from concerned National/International Federation is a must. Working knowledge of computer is essential. Minimum 10 years of experience of coaching is required.

#### OR

Experience in Coaching with Senior/Junior Indian teams or Decoration of Dronacharya/Arjuna/Dhyan Chand Award or who have produced medalists in International Competitions. Minimum 10 years of experience of coaching is required.

#### OR

Central Government / State Government / PSU employees may be allowed to apply for the position. However, the applicable recruitment rules of the Department of Personnel & Training (DoPT) will be applicable for all such postings on deputation.

#### DESIRED QUALIFICATION:-

- Demonstrated experience in planning, organizing and implementing a comprehensive high performance coaching program for international teams and athletes.
- Knowledge of leading trends in coaching, including coaching science, practices and the appropriate application of leading technology tools.
- A background in teaching to provide mentoring and instruction to other support Coaches and Staff involved with the Academy.
- The ability to attain excellence from players, coaches, staff and all stakeholders through the establishment of a 'winning' culture.
- Effective management skills that reflect ability to build and successfully implement long-term strategic plans that are supported by informed operational decisions.

### Scoring Criteria for Head Coaches

Sr. No.	Parameters	Maximum Marks
1	Coaching Aptitude & Knowledge (including Rules & Regulation of the Game, Knowledge about High Performance Environment and knowledge about basic Sports Science)	10
2	Management and Administrative skills	6
3	Communication Skill	5
4	General Attitude	5
5	Basic Knowledge of Computer	4
	Total	30

### JOB DESCRIPTION OF HEAD COACH :-

#### Responsibilities :-

Head Coach's roles vary hugely according to context, but typical work activities are likely to include:

#### Performance management:-

- Evaluating performance and providing suitable feedback, balancing criticism with positivity and motivation.
- Assessing strengths and weaknesses in an athlete's performance and identifying areas for further development.
- Adapting to the needs and interests of group or individual trainees.
- 1.1.2 Communicating instructions and commands using clear, simple language.
- 1.1.3 Encouraging participants to gain and develop skills, knowledge and techniques.
- 1.1.4 Ensuring that trainees train and perform to a high standard of health and safety at all times.
- 1.1.5 Inspiring confidence and self-belief.
- 1.1.6 Developing knowledge and understanding of fitness, injury, sports psychology, nutrition and sports science.
- 1.1.7 Working with IT-based resources to monitor and measure performance.
- 1.1.8 Acting as a role model, gaining the respect and trust of the people.
- 1.1.9 Liaising with other partners in performance management, such as Coaches, Physiotherapists, Doctors and Nutritionists.
- 1.1.10 Working to a high legal and ethical standard at all times, particularly in relation to issues such as child safeguarding, gender equality and health and safety requirements including protection from sexual harassment.

#### PLANNING AND ADMINISTRATION :-

- 1.1.11 Producing personalized training programmes.
- 1.1.12 Maintaining records of trainees performance.
- 1.1.13 Coordinating trainees attendance at meetings and other sports events
- 1.1.14 Planning and running programmes of activities for groups and individuals.
- 1.1.15 Co-coordinating with other coaches for transporting trainees to and from training sessions and sports events;

- 1.1.16 Seeking and applying for sponsorship agreements by engaging all stakeholders.
- 1.1.17 Finding appropriate competitions for participants.
- 1.1.18 Planning work schedule in consultation with other coaches.

**02. MASSEUR (Male) :**

**ESSENTIAL REQUIREMENTS**

**(a) EDUCATIONAL QUALIFICATIONS.**

Passed 10+2 from a recognized board with a certificate course/skill development programme for Masseur/Masseuse/ Massage Therapy/Sports Masseur/ Masseuse from a recognized institution.

**(b) WORK EXPERIENCE.**

Minimum 2 years of work experience as Masseur/ Masseuse.

**CRITERIA FOR SHORT LISTING OF CANDIDATES FOR INTERVIEW.**

Of all the total applications received, short listing of candidates for the interview will be carried out on following basis:

CATEGORIES FOR EVALUATION	MAX MARKS	SCORING OF MARKS
Higher Educational Qualification	10	Diploma in massage therapy
Total Work Experience	10	2 marks will be awarded for every completed 1 year of work experience as a Masseur/ Masseuse up to a maximum of 10 marks
Work Experience in Sports Establishment.	10	Additional 2 marks will be awarded for every completed 1 year of work experience as Masseur /Masseuse at a recognized State/National level sports organization (Govt. or Private) working with teams/players up to a maximum of 10 marks.

**INTERVIEW PROCESS;**

The interview will be of 50 marks.

The shortlisted candidates will be called for the interview and assessed as follows:

CATEGORIES FOR EVALUATION	MAXIMUM MARKS (100marks)
Domain Expertise & Practical Knowledge	20
Aptitude for working in a sports organization	10
Soft skills	10
Knowledge in allied sports science disciplines	10

**Age Limit:** The candidate must not have attained 35 years of age as on the closing date of advertisement.

**-: COMMON TERMS & CONDITIONS :-**

**a) Tenure:**

The contractual engagement will be initially for a period of one year further extendable on the basis of satisfactory performance, periodic reviews, result oriented, etc. and at all times coterminous with the Director, Sports & Youth Welfare. The contract can be terminated by giving a 30 days' Notice period by either party, i.e. Director, Sports & Youth Welfare. or the employee. In cases of extreme impropriety by the employee, the contract will be terminated immediately without prior notice.

**b) Tax Deduction at Source:**

The Income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment, for which the Director, Sports & Youth Welfare will issue TDS/Service Tax Certificates, as applicable.

**c) Other Allowances:**

No TA/DA shall be admissible for joining the assignment or on its completion. No other facilities like DA, Accommodation, Residential Phone, Conveyance Transport, Personal Staff, Medical reimbursement, HRA and LTC etc. would be admissible.

**d) Extension:**

Performance of the selected candidates would be continuously reviewed and their extension will be considered on the basis of periodic review / requirement.

**e) Leave:**

Selected candidates will be entitled for 30 days leave in a calendar year on pro-rata basis. Thereafter, candidates shall not draw any remuneration in case of his/her absence beyond 30 days in a year. Also unveiled leave in a calendar year will lapse and will not be carried forward to the next calendar year.

**CONFIDENTIALITY**

a) Selected persons will not be allowed to publish a book or a compilation of articles or participate in a radio broadcast or contribute an article or anonymously or pseudonymously in the name of any other person, if such book, article, broadcast, uses any information that he/she may gather as part of this assignment.

b) During the period of engagement with Director, Sports & Youth Welfare, Employee would be subject to the provisions of the Indian Official Secret Act, 1923 and will not divulge any information gathered by him/her during the period of his/her engagement to anyone who is not authorized to know.

c) The Selected personnel at no instance can represent or give opinion or advice to others in any matter, which is adverse to the interest of the Government.

**OTHER CONDITIONS:-**

a) The applications received will be scrutinized/shortlisted on the basis of relevant experience and job description and the eligible candidates will be called for Interview at cost to the applicant.

b) Candidates applied for more than one post will be interviewed only once.

c) In case he/she is required to proceed outstation from the place of posting on tour for official duty, he/she will be entitled to TA/DA as admissible under the rules.

d) In case the performance of Candidate is not found satisfactory, his/her services will be discontinued after giving one month notice.

e) Without any prejudice to the above condition, the candidate will be terminated from his services with immediate effect without any obligations, in case the candidate is found guilty of violating any of the conditions contained in the terms of employment or is guilty of any misconduct

f) including negligence of duties, unauthorized absence, etc. Decision of Director, Sports & Youth Welfare in all matters regarding eligibility, selection and posting would be final and binding upon all candidates. No representation or correspondence will be entertained Director, Sports & Youth Welfare in this regard.

g) Director, Sports & Youth Welfare reserves the right to cancel the advertisement and/or the selection process at any stage without assigning any reason.

h) The Director, Sports & Youth Welfare shall be the final authority in case of any dispute.

i) The appointment will be purely on contract basis and does not confer any right to claim to permanent employment in Director, Sports & Youth Welfare.

(पिछले पृष्ठ का शेष)

- j) Any litigation matters pertaining to employment at Director, Sports & Youth Welfare shall be restricted to the jurisdiction of the Raipur courts.
- k) Organization reserves the right to terminate the contract, by giving one month notice to Candidates.
- 1) Eligible and willing candidates may submit their applications in the prescribed Performa attached at Annexure A along with the Excel Sheet on or before 05.07.2025 till 05.30 PM by registered/speed post to Director, Directorate, sports & youth welfare, Shardar Vallabh Bhai Patel International Hockey Stadium, Raipur, Pin Code 492010.
- m) Owing to the requirement in Director, Sports & Youth Welfare, a list of panels may be drawn which will be valid for a period of one Year, Director, Sports & Youth Welfare reserve the right to cancel the panel without assigning any reason.
- n) The date of birth, accepted by the Director, Sports & Youth Welfare is that entered in the Matriculation/ Secondary examination will be accepted.
- o) Scanned copy of No Objection Certificate from their present employer, in case working in Central/ State Government/ Autonomous Organizations on regular basis.

**GENERAL INSTRUCTIONS**

(All the instructions given below must be strictly followed or else the application is liable to be rejected)

**WHO CAN APPLY:**

Applications are invited only from Indian citizens who fulfil eligibility criteria of essential educational qualification and essential work experience (as for norms).

1. After initial registration is completed online, the candidate must upload the following documents in the below mentioned order. Self- attested documents in PDF format are to be uploaded. CRITERIA FOR SHORT LISTING OF CANDIDATES FOR THE INTERVIEW: -Candidate will be shortlist in the ratio of 1:5 for which necessary documents to be attached along with the application.

**How to Apply:** The candidate has to apply only registered/speed post by submitting their applications (in proper format) on Director, Directorate, sports & youth welfare, Shardar Vallabh Bhai Patel International Hockey Stadium, Raipur, Pin Code 492010. Applications received through any other mode would not be accepted and summarily rejected.

**LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:**

The schedule for applying online is given below:-

- i. **Opening date for submission of Application form from 10.00 AM 10-06-2025**
- ii. **Closing date for Application form -05.07.2025 till 05.30 PM**

Director of In Charge  
Sports & Youth Welfare  
Chhattisgarh, Raipur

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़  
विभागाध्यक्ष कार्यालय, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर-19  
नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर. छ.ग.**

Phone No. 0771-2418990 E-Mail ID-dhscggazted@gmail.com

क्रमांक/एफ: 01-20/2025/विज्ञप्त/825

नया रायपुर, दिनांक: 10/06/2025

//सूचना//

**॥ वर्ष 2025 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को अनुबंध दो वर्ष की शासकीय सेवा का अवसर हेतु काउंसलिंग की सूचना ॥**

विषयांतर्गत वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अनुबंधित छात्र-छात्राओं को उनके द्वारा किये गये अनुबंध अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु पदस्थापना के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से दिनांक 13.06.2025 से 30.06.2025 तक Online Counseling आयोजित की गई है। संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से प्राप्त सूची अनुसार उक्त काउंसलिंग में वर्ष 2025 में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अनुबंधित छात्र-छात्रायें अनिवार्य रूप से भाग लेंगे (सूची संलग्न)।

काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य संस्थाओं एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर पदस्थापना हेतु किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी Online Counseling में सम्मिलित नहीं होता अथवा विकल्प का चयन नहीं करने की स्थिति में अंतिम राउंड की काउंसलिंग के उपरांत उक्त अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार स्वतः पदस्थापना स्थल Software के माध्यम से आबंटित किया जावेगा।

उक्त काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया, अभ्यर्थियों की सूची, काउंसलिंग प्रक्रिया का विवरण (User Manual), काउंसलिंग का शेड्यूल एवं काउंसलिंग संबंधित अन्य जानकारी एवं विवरण हेतु अभ्यर्थी निरंतर विभागीय वेबसाइट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) का अवलोकन करते रहें।

आयुक्त  
सह संचालक  
स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

**कार्यालय कलेक्टर**

(महिला एवं बाल विकास विभाग) पांच बिल्डिंग परिसर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Phone No.:-0788-2323704, E-Mail ID: dpodurg@gmail.com

क्रमांक / 801 / मबावि/स्थापना /2025-26

दुर्ग, दिनांक 10-6-25

**मिशन वात्सल्य योजना के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई एवं शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के रिक्त विभिन्न पदों को निरस्त किये जाने के संबंध में सूचना**

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई एवं शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में अधिनियम के प्रावधानों के तहत संविदा पद स्वीकृत पदों में जिला स्तर एवं शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में विभिन्न आवश्यक पद रिक्त होने से कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग के विज्ञापन क्रमांक 397/मबावि/मिशन वात्सल्य / 2023-24/दुर्ग, दिनांक 07.07.2023 द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग के विज्ञापन क्रमांक 397/ मबावि/मिशन वात्सल्य /2023-24/ दुर्ग दिनांक 07.07.2023 को निरस्त किया जाता है।

क्र	संस्था का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	
1	2	3	4	
1	जिला बाल संरक्षण इकाई, दुर्ग	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	
2		संरक्षण अधिकारी, गैर संस्थागत	01	
3		विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी	01	
4		लेखापाल	01	
5		आउटरीच वर्कर	01	
6		बाल सम्प्रेक्षण गृह, दुर्ग	स्टोर कीपर सह लेखापाल	01
7			सहायक रसोईया	01
8		प्लेस ऑफ सेपटी, दुर्ग	परिवीक्षा अधिकारी	01
9		विशेष गृह, दुर्ग	सहायक रसोईया	01
10		बालगृह, दुर्ग	रसोईया	01
कुल			10	

विज्ञापन निरस्त करने की सूचना जिले की वेबसाइट [www.durg.gov.in](http://www.durg.gov.in) एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-दुर्ग के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

# कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ०ग०)

क्रमांक / 1747/NRLM/जि.पं. / 2025

सूरजपुर दिनांक/8/06/2025

कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन नगर छत्तीसगढ़ का आदेश क्रमांक मिशन संचालक, SRLM विकास आयुक्त सेक्टर-19 द्वितीय तल नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल 3357/वि-6/NRLM/HR&A/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17.01.2025 के परिपेक्ष्य में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन रबिहानर अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से जिला/विकासखण्ड स्तर के 14 रिक्त (संविदा) पदों पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रकाशन तिथि दिनांक 18.6.2025 से 07.07.2025 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ०ग०) के पते पर पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

## अ/ पदों का विवरण:-

सक्र	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	कुल रिक्त पदों का वर्गवार संख्या				कुल रिक्त पदों का वर्गवार संख्या में से केवल महिलाओं के लिए आरक्षित			
				अनारक्षित (मुक्त)	अ०जा० (मुक्त)	अ०ज०जा० (मुक्त)	अ०पि०वर्ग (मुक्त)	अनारक्षित	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०पि०वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-
2	क्षेत्रीय समन्वयक	15	11	3	1	4	2	0	-	1	-
3	लेखा सह एम. आई.एस. सहायक	6	1	1	-	0	-	-	-	-	-
योग		23	14	5	1	5	2	0	0	1	0

## 2- पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू.में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	विकास खण्ड परियोजना प्रबंधक	39875.00	शिक्षा- मान्यता प्राप्त शिक्षा विश्वविद्यालय / संस्था से स्नातकोत्तर / समकक्ष उपाधि। अनुभव-स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखण्ड/कलस्टर स्तर के पद का न्यूनतम 02 वर्ष का गरीबी उन्मूलन / ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक साक्षात्कार	35 20 20 10 06 10
2	क्षेत्रीय समन्वयक	26,490.00	शिक्षा- 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। अनुभव- स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में उन्मूलन/आजीविका गरीबी विकास परियोजनाओं में कम से कम 01 वर्ष का गरीबी उन्मूलन / ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक लिखित / कौशल परीक्षा	35 20 20 10 05 10
3	लेखा सह एम.आई. एस. सहायक	23,350.00	शिक्षा-1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टैली सर्टिफिकेट। अनुभव-स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय / अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक कौशल परीक्षा	35 20 20 10 05 10

## नियम एवं शर्तें:-

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रकाशन तिथि दिनांक 18.06.2025 से दिनांक 07.07.2025 तक स्वीकार किये जावेंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज (स्व प्रमाणित) की प्रति सहित पंजीकृत / स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 07.07.25 तक सांय 05:00 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर में कार्यालयीन अवधि व समय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा बिना लिफाफा खोले आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा।
- आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2025 के आधार पर की जायेगी। आयु के प्रमाण स्वरूप 10 वी की स्वप्रमाणित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- छ.ग. राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। आरक्षण का लाभ केवल छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही मिलेगा।
- समस्त संलग्न दस्तावेजों को स्व प्रमाणित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
- अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) अनिवार्य है, एवं केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। तालिका 2 में अंकित अनुभव को ही मान्य किया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित/ शासन से अनुदान प्राप्त है। इस आशय का उल्लेख जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था व आवेदक की होगी।
- आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ सैलरी स्लिप संलग्न करना अनिवार्य होगा। सैलरी स्लिप संलग्न नहीं करने की दशा में अनुभव का अंक नहीं दिया जायेगा। जितनी अवधि का सैलरी स्लिप लगाया जायेगा उतनी अवधिका ही अनुभव का अंक दिया जायेगा।
- प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा वरीयता क्रम के आधार पर कौशल/लिखित परीक्षा के लिये 01 पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं लिखित / कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। प्रतीक्षा सूची से क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदकों को एक वर्ष हेतु प्रतीक्षा सूची में क्रमशः

- रखा जावेगा यदि भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम अनुसार प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिये मान्य होगा।
- यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो प्रथमतः यह भार आवेदक पर होगा किये अंकसूची के जारीकर्ता संस्था से ग्रेड को प्रतिशत अंक में परिवर्तित करने उपरांत आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा उन आवेदको को अंकसूची में अंकित ग्रेड स्लैब औसत प्रतिशत प्रदान किया जावेगा।
  - समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
  - शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना होगा।
  - ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
  - अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं अपात्र किया जायेगा।
  - आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो. नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
  - उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा।
  - पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
  - यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
  - संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
  - यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
  - संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
  - संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
  - संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
  - सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
  - भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा।
  - फोटो व संलग्न दस्तावेज स्व प्रमाणित नहीं होने पर आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा। इस संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा। दावा आपत्ति के दौरान किसी प्रकार के नवीन या पूरक दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत सूरजपुर (छ०ग०)

**कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर (छत्तीसगढ़)**

छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत संविदा भर्ती

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत सूरजपुर (छ.ग.)  
पिनकोड- 497229

आवेदक का  
अभिप्रमाणित  
पासपोर्ट साईज  
फोटो।

- आवेदित पद का नाम: :-----
- अभ्यर्थी का नाम अ. हिन्दी में :-----  
ब. अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षर) :-----
  - पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :-----
  - लिंग (पुरुष/महिला/तृतीय लिंग) :-----
  - जन्म तिथि अ. अंको में :-----  
ब. शब्दों में- :-----

- स. दिनांक 01.01.2025 को आयु वर्ष-----माह-----दिन-----  
(हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- वर्ग (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./सामान्य) उल्लेख करें -(आरक्षित प्रवर्ग का होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
  - पत्राचार का पता (हिंदी में) :-----  
:-----  
----- (मो.नं.)-----ईमेल-----
  - स्थायी पता (हिंदी में) :-----  
:-----
  - क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं? (हाँ/नहीं) :-----  
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
  - शैक्षणिक योग्यता (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	डिग्री/डिप्लोमा	बोर्ड/वि.वि. का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

10. नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-

क्र	कार्यरत पद का नाम	संस्था का नाम एवं पूर्ण पता	कार्यरत अवधि कब से कब तक	जारीकर्ता का पदनाम	अनुभव पत्र
1			----से--- तक (कुल अवधि)----		
2			----से--- तक (कुल अवधि)----		
3			----से--- तक (कुल अवधि)----		
4			----से--- तक (कुल अवधि)----		
5			----से--- तक (कुल अवधि)----		

- वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) -
- यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि बच्चों की संख्या

**घोषणा पत्र**

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां सत्य हैं। किसी भी स्तर पर जानकारियां असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन/सेवायें निरस्त कर मुझे पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान:-----

दिनांक :-----

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर  
नाम-----

**नोट- संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नांकित क्रम में रखा जावे।**

**संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)**

- हाई स्कूल का प्रमाण पत्र
- हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र
- न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण पत्र
- मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट
- अनुभव/अनापत्तिका प्रमाण पत्र पे स्लिप सहित
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
- छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र।
- अन्य प्रमाण पत्र।

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव, (छ०ग०)

कलेक्टोरेटपरिसर, कलेक्टोरेटभवन, प्रथमतल, कक्ष क्रमांक-117

कलेक्टोरेट परिसर कलेक्टोरेट भवन प्रथम तल कक्ष क्रमांक-117 Phone: 07744-358066 website:- deorajnandgaon.cg.nic.in

क्रमांक /3752/योजना/स्वा.आ.अ.मा.वि./भर्ती/2025/

राजनांदगांव दिनांक 1.6.06.2025

राजनांदगांव जिले में पूर्व से संचालित 09 स्वामी आत्मानंद शास, उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रतिनियुक्ति / संविदा भर्ती हेतु शासन द्वारा सेटअप स्वीकृत किया गया है। सेटअप अनुसार 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। सेजेस विद्यालयों के संविदा पद माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम अदेश के अधीन होगी। जिले के आरक्षण रोस्टर 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के द्वारा आरक्षण नियम के अन्तर्गत संविदा भर्ती किया गया था। जिसमें से अभ्यर्थी द्वारा त्याग पत्र/नौकरी छोड़कर जाने की स्थिति में उसी पद पर पूर्व आरक्षण के अनुसार ही संविदा नियुक्ति हेतु छ.ग. के मूल निवासी, योग्यताधारी आवेदकों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव के कक्ष क्रमांक-108 पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 30/06/2025 तक निर्धारित है, उसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

## शालावार पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

सर्वेदास नगर पालिक निगम शास० उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव						
कं.	पदनाम	विषय	माध्यम	मानदेय	पद संख्या	पद वर्ग
1	व्याख्याता	वाणिज्य	अंग्रेजी	38100	1	अनारक्षित
	शिक्षक	कम्प्यूटर शिक्षक	अंग्रेजी	35400	1	अनारक्षित
	सहायक शिक्षक	कला	अंग्रेजी	25300	1	अनारक्षित
पदुमलाल पुन्नाला बख्शी शास० उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव						
2	व्याख्याता	सामाजिक विज्ञान	अंग्रेजी	38100	1	अनारक्षित
	शिक्षक	कम्प्यूटर शिक्षक	अंग्रेजी	35400	1	अनारक्षित
	शिक्षक	अंग्रेजी	अंग्रेजी	35400	1	अनारक्षित
	सहायक शिक्षक	कला	अंग्रेजी	25300	1	अनारक्षित
सहायक शिक्षक	कला	अंग्रेजी	25300	1	अनारक्षित	
स्वामी आत्मानंद शास० उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सुकुलदैहान						
3	शिक्षक	गणित	अंग्रेजी	35400	1	अ०ज० जा०
	शिक्षक	विषय	अंग्रेजी	35400	1	अ०पि०व०
	सहायक शिक्षक	-	अंग्रेजी	25300	1	अ०ज० जा०
	सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)	विज्ञान	अंग्रेजी	25300	1	अनारक्षित
स्वामी आत्मानंद शास० उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भरेगांव						
4	व्याख्याता	भौतिक	अंग्रेजी	38100	1	अनारक्षित
	व्याख्याता	सामाजिक विज्ञान	अंग्रेजी	38100	1	अनारक्षित
स्वामी आत्मानंद शास० उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय घुमका						
	व्याख्याता	वाणिज्य	अंग्रेजी	38100	1	अ०ज० जा०
	व्याख्याता	रसायन	अंग्रेजी	38100	1	अनारक्षित

5	शिक्षक	सामाजिक विज्ञान	अंग्रेजी	35400	1	अनारक्षित	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित संकाय/विषय में न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उत्तीर्ण, डी.एड./बी.एड. अनिवार्य हो एवं टी.ई.टी. (पूर्वमाध्य.) उत्तीर्ण हो।
	सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)	विज्ञान	अंग्रेजी	25300	1	अनारक्षित	मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान संकाय (गणित /जीवविज्ञान) न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण हो।
	ग्रंथपाल	-	अंग्रेजी	22400	1	अनारक्षित	मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण हो।
स्वामी आत्मानंद शास० उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डोंगरगांव							
6	व्याख्याता	सामाजिक विज्ञान	अंग्रेजी	38100	1	अनारक्षित	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% के साथ स्नाकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. प्रशिक्षित हो।
	व्याख्याता	रसायन	अंग्रेजी	38100	1	अनारक्षित	
	व्याख्याता	भौतिक	अंग्रेजी	38100	1	अनारक्षित	
	शिक्षक	विज्ञान	अंग्रेजी	35400	1	अनारक्षित	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी संबंधित संकाय/विषय में न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उत्तीर्ण, सी.एड./बी.एस. अनिवार्य हो एवं टी.ई.टी. (पूर्वमाध्य.) उत्तीर्ण हो।
	सहायक शिक्षक	विज्ञान	अंग्रेजी	25300	1	अ०पि०व०	मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित संकाय में न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण, डी.एड./डी.एल.एड. टी.ई.टी., एवं सी.टे.ट (प्राथमिक) उत्तीर्ण हो।
	सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)	विज्ञान	अंग्रेजी	25300	1	अ०ज० जा०	मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान संकाय (गणित /जीवविज्ञान) न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण हो।
7	शिक्षक	विज्ञान	अंग्रेजी	35400	1	अ०पि०व०	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी संबंधित संकाय/विषय में न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उत्तीर्ण, सी.एड./बी.एस. अनिवार्य हो एवं टी.ई.टी. (पूर्वमाध्य.) उत्तीर्ण हो।
	सहायक शिक्षक	-	अंग्रेजी	25300	1	अनारक्षित	मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित संकाय में न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण, डी.एड./डी.एल.एड. / टी.ई.टी. एवं सी.टे.ट (प्राथमिक) उत्तीर्ण हो।
	सहायक शिक्षक	-	अंग्रेजी	25300	1	अनारक्षित	
स्वामी आत्मानंद शास० उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डोंगरगढ़							
8	व्याख्याता	वाणिज्य	अंग्रेजी	38100	1	अ०ज० जा०	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% के साथ स्नाकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. प्रशिक्षित हो।
	व्याख्याता	अंग्रेजी	अंग्रेजी	38100	1	अ०ज० जा०	
	प्रधानपाठक (प्र०पा०)	-	अंग्रेजी	35400	1	अनारक्षित	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उत्तीर्ण डी.एड./डी.एड. प्रशिक्षित हो।
	सहायक शिक्षक	-	अंग्रेजी	25300	1	अनारक्षित	मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित संकाय में न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण, डी.एड./ डी.एल.एड. टी.ई.टी., एवं सी.टे.ट (प्राथमिक) उत्तीर्ण हो।
	सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)	विज्ञान	अंग्रेजी	25300	1	अनारक्षित	मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान संकाय (गणित /जीवविज्ञान) न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण हो।
	सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)	विज्ञान	अंग्रेजी	25300	1	अ०ज० जा०	



## स्वामी आत्मानंद शासक उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छुरिया

व्याख्याता	वाणिज्य	अंग्रेजी	38100	1	अ0ज0 जा0	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% के साथ स्नाकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. प्रशिक्षित हो।
शिक्षक	विज्ञान	अंग्रेजी	35400	1	अनारक्षित	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से संबंधित संकाय/विषय में न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उत्तीर्ण, डी.एड./डी.एल.एड. टी.ई.टी., एवं सी.टेड (प्राथमिक) उत्तीर्ण हो।
सहायक शिक्षक	अंग्रेजी	अंग्रेजी	25300	1	अ0पि0व0	मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित संकाय में न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण, डी.एड./डी.एल.एड. टी.ई.टी., एवं सी.टेड (प्राथमिक) उत्तीर्ण हो।
सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)	विज्ञान	अंग्रेजी	25300	1	अ0ज0 जा0	मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान संकाय (गणित /जीवविज्ञान) न्यूनतम 50% प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण हो।

## टीप:-

- उपरोक्त विज्ञापित सेजेस विद्यालयों के संविदा पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी, एवं सेजेस विद्यालयों के पदों में जिले के सेटअप अनुरूप 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

## आवेदन एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश :-

- संविदा मानदेय-संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एवं एक मुश्त देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता / सुविधा/परिलब्धियां देय नहीं होगी।
- उक्त संविदा भर्ती के लिए आवेदक की आयु की गणना दिनांक 01/01/2025. की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष अनिवार्य है। आयु की पुष्टि हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची से की जाएगी। आयु सीमा में उपलब्ध छूट छ0ग0 शासन द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों के अधीन होगी।
- जिला स्तरीय सेजेस समिति विज्ञापित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि कर सकेगी।
- निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- > 10वीं की अंकसूची।
- > 12वीं की अंकसूची।
- > स्नातक की अंकसूची।
- > स्नाकोत्तर की अंकसूची।
- > डी.एड./डी.एल.एड./बी.एड. की अंकसूची।
- > टी.ई.टी. की अंकसूची /CTET
- > मूल निवास प्रमाण पत्र।
- > जाति प्रमाण पत्र। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा)
- > रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।

- विज्ञापित पदों पर चयन का आधार निम्नानुसार विभिन्न परीक्षा के अधिभार पश्चात्, कुल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर होगा।

क्र.	पदनाम	10वीं	12वीं	स्नातक	स्नातकोत्तर
1	व्याख्याता	-	10%	40%	50%
2	शिक्षक	-	40%	60%	-
3	सहा. शिक्षक	40%	60%	-	-

- अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जायेंगे, जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
- उक्त पदों में नियुक्ति उपरांत संविदा पद से त्याग हेतु 03 माह पूर्व की सूचना या 03 माह का वेतन जमा करने के पश्चात् ही की जावेगी।
- विज्ञापित पदों के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही एवं उससे जुड़ी सारी जानकारी जिला राजनांदगांव की वेबसाइट <https://rajnandgaon.nic.in> के माध्यम से दी जायेगी।

- विज्ञापित पदों पर आवेदकों का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदकों को हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से, संबंधित पद की न्यूनतम योग्यता की परीक्षा तक का अध्ययन, अंग्रेजी माध्यम में किया जाना आवश्यक है।
- पंजीकृत शिक्षण समिति के नियम / निर्देश सर्वमान्य एवं बाध्यकारी होगा।
- यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति से भर जाता है, तो इस पद पर संविदा भर्ती नहीं की जायेगी।
- आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम, विषय एवं माध्यम लिखना आवश्यक है।
- पद पूर्णतः संविदा होंगे। कार्य व्यवहार अथवा समिति के अनुरूप कार्य नहीं पाए जाने पर किसी भी समय सेवा से पृथक किया जावेगा।
- हिन्दी पद हेतु माध्यम की बाध्यता नहीं होगी।
- यदि छ0ग0 शासन के द्वारा उक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति की जाती है, तो केवल सूचना देकर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
- संविदा से चयनित शिक्षकों को अन्य नियमित शिक्षकों की भांति शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा मुल्यांकन, शालेय गतिविधियां आदि से भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। जिसके लिए अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
- संविदा सेवा अवधि के उपरांत प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा/भत्ता प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग छ0ग0 शासन द्वारा अधिसूचित छ0ग0 सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के प्रावधान के तहत की जावेगी।
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.वर्ग के आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग छ0ग0 शासन द्वारा समय-समय पर जारी आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश / निर्देश लागू होंगे।
- आवेदन में अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- आवेदक को छ0ग0 राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
- छत्तीसगढ़ राज्य के किसी जिले में रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- यह संविदा नियुक्ति 30 अप्रैल, 2026 तक के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य दक्षता, कार्यक्षमता एवं आचरण / व्यवहार के आधार पर दोनों पक्ष की सहमति से कार्य अवधि अगामी सत्र के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
- मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त होने अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जावेगी।
- एक ही विद्यालय में एक से अधिक पदों में चयन होने पर अभ्यर्थी को केवल उच्च पद पर विचार किया जावेगा, शेष समस्त पदों पर अभ्यर्थी के नाम पर विचार नहीं किया जावेगा।
- संविदा शिक्षक/कर्मचारी बिना किसी सूचना के निरंतर एक माह तक अनुपस्थित रहने पर संबंधित की सेवा समाप्त स्वतः समाप्त की जा सकेगी।
- संविदा अवधि में छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- संविदा शिक्षक/कर्मचारियों को सीधी भर्ती द्वारा नियमित पदों की नियुक्ति में कोई दावेदारी नहीं होगी।
- आवेदक की उम्र 01 जनवरी, 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10 वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश / निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे।
- विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप (निर्धारित आवेदन प्रारूप ही मान्य होगा) तथा नियम एवं शर्तें राजनांदगांव जिले के वेबसाइट <https://rajnandgaon.nic.in> एवं जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।
- भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन समिति जिला राजनांदगांव को होगा।
- किसी भी विवाद की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी  
राजनांदगांव (छ0ग0)

क्रमशः



स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय समिति (SAGES)  
जिला राजनांदगांव संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1	आवेदित पद का नाम	
2	आवेदित विषय का नाम	
3	अध्ययन का माध्यम	
4	अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नाम एवं तिथि (जहां अध्यापन कार्य किया गया)	
5	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	
6	आवेदक का नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में)	
7	पिता/पति का नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में)	
8	जन्मतिथि (अंकों में)	
9	आयु (दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में)	
10	जाति/वर्ग (ST/SC/OBC/GEN)	
11	आधार नंबर	
12	वर्तमान पत्र व्यवहार का पता-	
	(ब) वार्ड का नाम	
	(द) ग्राम/शहर का नाम	
	(फ) जिला का नाम	
13	छत्तीसगढ़ के मूल निवास का विवरण-	
	(ब) वार्ड का नाम	
	(द) ग्राम/शहर का नाम	
	(फ) जिला का नाम	
14	ई-मेल एड्रेस	
15	मोबाईल नंबर	
16	रोजगार कार्यालय का विवरण	
17	पंजीयन क्रमांक-	
18	नवीनीकरण की तिथि	

## 19 शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता:-

क्र	परीक्षा का नाम	परीक्षा का माध्यम	विश्वविद्यालय / बोर्ड का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हाई स्कूल						
2	हायरसेकेण्डरी						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						
5	B.Ed/D.Ed/B.Tech/B.C.A./B.E.						
6	C.E.T/CTET/B.Lib						

## अभ्यर्थी का घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 01 से 19 तक में दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण मुझे चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर बाहर किये जाने एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना मुझे स्वीकार्य है। मैंने यह आवेदन पत्र सम्पूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है।

स्थान----- आवेदक का हस्ताक्षर  
दिनांक----- नाम-----  
मो०नं०-----

## स्वयं सत्यापित संलग्न प्रमाण पत्रों का क्रम-

- अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन प्रारंभ करने की प्रारंभिक कक्षा प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- हाईस्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- हायर सेकेण्डरी प्रमाण की छायाप्रति।
- स्नातक प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- बी०एड०/डी०एड०/डी०एल०एड० की छायाप्रति।
- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

हस्ताक्षर

दस्तावेज सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला - बीजापुर (छ०ग०)

Phone No 07853220264 email: cmhobijapur264@gmail.com

क्रमांक /515/ मु.चि.अ./DMF/ भर्ती /2025

बीजापुर, दिनांक 17/06/2025

## संविदा भर्ती (वर्चुवल इन्टरव्यू)

जिला खनिज संस्थान न्यास निधी (डीएमएफ) मद से स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य सस्थाओं में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालन हेतु 05 चिकित्सा विशेषज्ञों के पद पर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए संक्षिप्त विज्ञप्ति (वर्चुवल इन्टरव्यू) के माध्यम से नीचे दर्शित सारणी अनुसार पदों पर भर्ती किया जाना है।

क्र	पदनाम	पद संख्या	मानदेय राशि (प्रतिमाह)	शैक्षणिक योग्यता
1	Gynecologist	01	2,50,000/-Rs (Negotiable)	PG Degree/Diploma in OBS & Gyne & CGMC में जीवित पंजीयन, कार्यानुभव यदि हो तो प्रमाण पत्र।
2	General Surgeon	01	2,50,000/-Rs (Negotiable)	एम.एस. / डी.एन.बी. / In Surgery, & CGMC में जीवित पंजीयन, कार्यानुभव हो यदि प्रमाण पत्र।
3	ENT Specialist	01	2,50,000/-Rs (Negotiable)	एम.एस./डी.एन.बी./ In ENT CGMC में जीवित पंजीयन, कार्यानुभव हो यदि प्रमाण पत्र।
4	Cardiologist	01	1,00,000/- Rs (Only 04 Visit in a month) (Per Visit 25,000)	MBBS & MD/DNB in General Medecine DM/DNB in Cardiologist
5	Nephrologist	01	1,00,000/- Rs (Only 04 Visit in a month) (Per Visit 25,000)	MBBS & MD/ DNB in General Medecine DM/DNB in Nephro

- विज्ञप्ति जारी तिथि :- 18/06/2025
- आवेदन भरने की अंतिम तिथि :- 27/06/2025 दिन शुक्रवार प्रातः 10:00 बजे तक
- वर्चुवल इन्टरव्यू तिथि :- 27/06/2025 दिन शुक्रवार प्रातः 11:00 बजे से (उपरोक्त समस्त पदों की भर्ती पूर्ण होने तक प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे वर्चुवल इन्टरव्यू जारी रहेगा)

04. अभ्यर्थी इस लिंक के माध्यम से अपनी योग्यता संबंधित विवरण अपलोड कर सकेंगे:-

[https://bijapur.gov.in/en/notice\\_category/recruitment](https://bijapur.gov.in/en/notice_category/recruitment)

(नोट:- आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय एवं वर्चुवल लिंक आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा, अभ्यर्थी आवेदन भरते समय व्हाट्सअप मोबाईल नम्बर दें)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला बीजापुर (छ०ग०)

## कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर (छ.ग.)

राज भवन के पास पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रोजगार कार्यालय के बाजू

दूरभाष नम्बर-0771-4280486 ई.मेल dcporaipur@gmail.com, icpsraipur@gmail.com

क्रमांक/228/मबावि/मि.वा./2025-26

रायपुर, दिनांक 19.06.2025

## बच्चों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2025

हेतु प्रविष्टियों की अंतिम तिथि 31.07.2025

महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करने हेतु प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। पात्र बच्चों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र सम्मान के रूप में प्रदान किया जावेगा। इस पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित है।

इस वर्ष उक्त पुरस्कार हेतु दिनांक 31.07.2025 तक केवल ऑन-लाईन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं, आवेदन हेतु लिंक <https://awards.gov.in/> है। लॉगिन की जानकारी निम्नानुसार है-

जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
आर.ओ.71/जी-252601669.6  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

नाम-----

पदनाम-----

संस्था-----

मो.नं.-----

टीप - उपरोक्त समस्त पदों हेतु ऑफलाईन एवं गूगल फार्म के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है जिसके लिये नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें

<https://forms.gle/HDU94F6GqDg5jz2YA>

# कार्यालय कलेक्टर, जिला-महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

## जिला ई-गवर्नेस सोसायटी (DeGS)

फोन नं. 07723 222540, फैक्स नं. 07723 223302 ईमेल edm.mahasamund@gmail.com

क्र. 1487/DeGS/आधार/2025

महासमुन्द, दिनांक 16/06/2025

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर छ.ग. के पत्र क्रमांक 193/सीईओ / चिप्स/आधार/2025 दिनांक 07.05.2025 के परिपालन में जिले के 24 शासकीय कार्यालयों में इन हाउस मॉडल के अनुसार आधार केन्द्र संचालन हेतु 26 आधार संचालक/ऑपरेटर का चयन किया जाना है। कार्यालय का विवरण निम्नानुसार है -

क्र	कार्य कोड	शासकीय कार्यालय का नाम	आधार केन्द्र की संख्या	क्र	कार्य कोड	शासकीय कार्यालय का नाम	आधार केन्द्र की संख्या
1	101	कार्यालय कलेक्टर महासमुन्द	2	13	113	कार्यालय नगर पंचायत बसना	1
2	102	कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द	1	14	114	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द	1
3	103	नगर पालिका परिषद महासमुन्द	2	15	115	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागबाहरा	1
4	104	नगर पालिका परिषद बागबाहरा	1	16	116	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा	1
5	105	नगर पालिका परिषद सरायपाली	1	17	117	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बसना	1
6	106	कार्यालय जनपद पंचायत महासमुन्द	1	18	118	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली	1
7	107	कार्यालय जनपद पंचायत बागबाहरा	1	19	119	तहसील कार्यालय महासमुन्द	1
8	108	कार्यालय जनपद पंचायत पिथौरा	1	20	120	तहसील कार्यालय बागबाहरा	1
9	019	कार्यालय जनपद पंचायत बसना	1	21	121	तहसील कार्यालय कोमाखान	1
10	110	कार्यालय जनपद पंचायत सरायपाली	1	22	122	तहसील कार्यालय पिथौरा	1
11	111	कार्यालय नगर पंचायत तुमगांव	1	23	123	तहसील कार्यालय बसना	1
12	112	कार्यालय नगर पंचायत पिथौरा	1	24	124	तहसील कार्यालय सरायपाली	1

- पात्र/अपात्र सूची के दावा आपत्ति निराकरण उपरांत दस्तावेज सत्यापन किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत कुल अंकों के आधार पर कार्यालयवार मेरिट सूची तैयार की जायेगी। आधार केन्द्रों की संख्या के अनुसार मेरिट क्रम में चयनित एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।
- प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिये वैध माना जायेगा। चयनित अभ्यर्थी के कार्य नहीं करने, यु.आई.डी.ए.आई. द्वारा सस्पेंड होने अथवा बर्खास्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से क्रमशः अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- चयनित अभ्यर्थी को 1 लाख 50 हजार रुपये का Security deposit, FDR के रूप में जिला ई-गवर्नेस सोसायटी को अनुबंध के समय जमा करना होगा।
- चयनित अभ्यर्थी का आवश्यकता पड़ने पर चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। प्रतिकूल टीप पाये जाने पर अनुबंध निरस्त की कार्यवाही की जा सकेगी।
- चयनित आधार ऑपरेटर को अपने निर्धारित शासकीय कार्यालय में कार्यालयीन दिवस / समयानुसार स्वयं उपस्थित होकर अपनी सेवाएं प्रदान करना होगा।
- कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई-गवर्नेस सोसायटी, जिला महासमुन्द के द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित शासकीय कार्यालय में परिवर्तन किया जा सकता है।
- समय-समय पर जिले में विभागीय शिविर / आधार पंजीयन शिविर आयोजित किये जाते हैं। आवश्यकतानुसार आधार संचालक / ऑपरेटर को उक्त शिविर में अपनी सेवाएं प्रदाय की जानी आवश्यक होगी।
- निर्धारित शासकीय कार्यालय परिसर हेतु चयनित/कार्यरत आधार संचालक/ऑपरेटर को आवश्यकतानुसार जिला ई-गवर्नेस सोसायटी, जिला महासमुन्द परिवर्तन कर सकती है।
- चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 27/06/2025 अपराह्न 05.00 बजे तक निम्नानुसार पते पर स्वीकार किये जायेंगे -

कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुन्द जिला ई-गवर्नेस सोसायटी, कक्ष क्र 22 (सी.जी. स्वान कक्ष) बी.टी.आई. रोड, जिला महासमुन्द, पिन 493445

अपर कलेक्टर

जिला महासमुन्द (छ.ग.)

### इन हाउस मॉडल अंतर्गत आधार केन्द्र संचालन हेतु आवेदन पत्र-

### आधार संचालक/ऑपरेटर के चयन हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी

#### अ. आधार संचालक/ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्हता-

- आवेदक को कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान होना चाहिए जिस हेतु न्यूनतम Diploma in Computer Application प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिये।
- आवेदक कम से कम उच्च माध्य. या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण हो, वर्तमान में किसी भी संस्था का नियमित विद्यार्थी ना हो।
- आवेदक प्रतिभूति, बीमा, बैंक गारंटी या अन्य किसी भी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हो।
- कोई व्यक्ति आधार संचालक/ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्ह नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचारिक चरित्र का न हो या किसी दण्डनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जा चुका हो।
- पूर्व/वर्तमान में कार्यरत आधार केन्द्र संचालक / ऑपरेटर की स्टेशन आई.डी. में कोई भी पेनाल्टी राशि भुगतान हेतु लंबित ना हो। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1483/DeGS/आधार/2025 दिनांक 12.06.2025 अनुसार पेनाल्टी राशि का भुगतान कर बैंक स्टेटमेंट, रसीद, पावती आदि आवेदन के साथ अनिवार्यतः जमा किया जाना होगा।
- आधार केन्द्र संचालक/ऑपरेटर को NSEIT के द्वारा EA Supervisor/Operator की परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक है, जिसके उपरांत UIDAI के द्वारा पंजीयन नंबर प्रदाय किया जाता है।

#### ब. आधार केन्द्र संचालक / ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया -

- आवेदक का महासमुन्द जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर किया जाना होगा।
- एक आवेदक के द्वारा केवल एक ही शासकीय कार्यालय के लिए आवेदन किया जावे। एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने या आवेदन पत्र में एक से अधिक कार्यालय का नाम होने पर अभ्यर्थी के सभी आवेदनों को निरस्त किया जायेगा।
- आवेदन पत्र में संलग्न शैक्षिक विवरण के आधार पर निम्नानुसार अंक निर्धारित कर पात्र/अपात्र सूची तैयार किया जायेगा-

क्र	शैक्षिक विवरण	अंक/प्रति.	रिमार्क
1	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत पर	70 प्रति.	
2	कम्प्यूटर संबंधी डिग्री/ डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत पर	20 प्रति.	
3	आधार केन्द्र संचालक/ऑपरेटर के सक्रिय युजर क्रेडेंसियल होने पर अतिरिक्त अंक	10 अंक	UIDAI के द्वारा सक्रिय युजर क्रेडेंसियल की सूची कार्यालय चिप्स, रायपुर के माध्यम से ईमेल दिनांक 12.06.2025 को प्राप्त हुआ है। युजर क्रेडेंसियल सक्रिय होने का सत्यापन उक्त सूची से किया जायेगा।

- आवेदित कार्यालय का कोड----कार्या. का नाम:-----
- नाम (हिन्दी में):-----
- (अंग्रेजी में) :-----
- पिता का नाम :-----
- जन्म तिथि :-----
- स्थायी पता :-----
- मोबाईल नंबर :-----
- ईमेल आई.डी. :-----
- शैक्षणिक विवरण-----

पासपोर्ट  
साईज फोटो

क्र	परीक्षा का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

- पेनाल्टी राशि लंबित है (हां/नहीं):
- यदि है तो जमा कर दिया गया है (हां/नहीं):-----जमा करने का दिनांक-----
- आधार संचालन हेतु अनुभव की जानकारी -----
- अ. क्रेडेंसियल---ब. स्टेशन आई.डी.--स. NSEIT Certificate No. द. कार्य स्थल--
- दस्तावेज संलग्न करें -
1. हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र (10वीं) 2. हा.से. परीक्षा प्रमाण पत्र (12वीं)
3. कम्प्यूटर संबंधी डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र। 4. पेनाल्टी भुगतान की रसीद/पावती।
5. निवास प्रमाण पत्र। 6. NSEIT ID प्रमाण पत्र

#### घोषणा

मैं----पिता का नाम ...उम्र..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी निवासी. मेरे ज्ञान एवं विश्वास से पूर्णता सत्य है, मैं इसकी सत्यता का/की जिम्मेदार हूँ। उपरोक्त विवरण के संबंध में मूल दस्तावेज मंगाये जाने पर प्रस्तुत करूंगा / करूंगी। यदि कोई जानकारी असत्य होगी तो वैधानिक कार्यवाही के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी।

दिनांक-----

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम-----



श्री नरेन्द्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय  
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

# उच्च शिक्षा की राह अब हुई आसान

एजुकेशन लोन पर मिल रहा  
ऋण ब्याज अनुदान

## मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना

(अधिक जानकारी के लिए

<https://industries.cg.gov.in> पर विजिट करें)

सुशासन से समृद्धि की ओर

हमसे जुड़ने के लिए



QR स्कैन करें



# औद्योगिक नीति

अब और अधिक रोजगारपरक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी



श्री विष्णु देव साय  
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री




स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष अनुदान



आधुनिक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को मिलेगा बढ़ावा



वस्त्र क्षेत्र में निवेश पर अब 200 फीसदी तक का प्रोत्साहन



ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज



पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा



नीति में संशोधन से युवाओं, किसानों, उद्यमियों और निवेशकों को सीधा लाभ



हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : [f](#) [X](#) [@](#) [ChhattisgarhCMO](#) [f](#) [X](#) [DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)



डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो